प्रकाशन का 46 वां वर्ष

सरोकारी पत्रकारिता के लिए समर्पित

शैल

निष्पक्ष एवं निर्भीक साप्ताहिक समाचार

ई-पेपर

www.facebook.com/shailsamachar

प्रदेश का पहला ऑनलाईन साप्ताहिक

वर्ष 46 अंक-32 पंजीकरण आरएनआई 26040/74 डाक पंजीकरण एच.पी./93/एस एस एल Valid upto 31-12-2023 सोमवार 16-23 अगस्त 2021 मूल्य पच रुपए

अनुराग को मिले जन समर्थन से नेतृत्व को लेकर फिर उठी चर्चाएं

शिमला/शैल। धूमल पुत्र हमीरुपर के सांसद केन्द्रिय सूचना एवम् प्रसारण मन्त्री अनुराग ठाकुर की पांच दिवसीय जन आशीर्वाद यात्रा एक पूरी तरह सफल आयोजन रहा है। परवाणु से लेकर मैहत्तपुर तक की 638 किलो मीटर की इस यात्रा के हर छोटे बड़े पड़ाव पर जिस कदर लोग अनुराग से मिले हैं उससे यह प्रमाणित हो गया है कि इस समय प्रदेश भाजपा के पास शान्ता-धूमल के बाद अनुराग ही तीसरा ऐसा नेता है जो प्रदेश के हर कोन में भीड़ जुटा सकता है। अनुराग ने लोगों के इस समर्थन और प्यार को प्रधानमन्त्री मोदी की नीतियों के प्रति जन विश्वास करार दिया है। अनुराग को मिला यह जन स्नेह मोदी की नीतियों का परिणाम है या प्रदेश की जयराम सरकार की नीतियों की जन सराहना या अनुराग के अपने कार्यो का प्रतिफल है यह तो आने वाला समय ही बतायेगा। क्योंकि यदि नेताओं को मिला जन समर्थन पार्टी को चुनावी सफलता न दिला पाये तो इसको कोई अर्थ नहीं रह जाता है। अभी प्रदेश में चार उपचुनाव होने हैं और इनका परिणाम इस समर्थन की पहली परीक्षा होगा। उसके बाद नगर निगम शिमला के लिये चुनाव होंगे और वर्ष के आखिर में विधानसभा के चुनाव होंगे। यह सारे चुनाव मुख्यमन्त्री और उनकी सरकार के कार्यो पर जनता का फैसला होंगे। जनता यह फैसला ज़मीनी हकीकत को सामने रख कर करेगी। पिछे हुए चार नगर निगमों के चुनावों में जनता ने कांग्रेस और भाजपा दोनों पार्टीयों को दो-दो निगम देकर अपनी समझ का स्पष्ट संकेत दे भी दिया है। दिवार पर लिखी इस इबारत को भाजपा कितनी जल्दी समझ कर इस पर अमल करके अपनी कार्यप्रणाली में सुधार करती है यह आने वाले दिनों में सामने आ जायेगा।

अनुराग को जो समर्थन मिला है क्या उसका लाभ इस सरकार को मिल पायेगा यह दूसरा बड़ा सवाल है जिसकी पड़ताल करना आवश्यक हो जाता है। बतौर केन्द्रिय मन्त्री अनुराग हिमाचल को कुछ बड़ा नहीं दे पायें हैं क्योकि वित राज्य मंत्री के तौर पर यह संभव ही नही था कि वह प्रदेश को कोई बड़ा आर्थिक लाभ दे पाते। वित्त राज्यमन्त्री के नाते हिमाचल को मिले विशेष राज्य के दर्जे को वह यथास्थिति बहाल

रखवाने में सफल रहे हैं जबकि कुछ राज्यों के हाथ से यह दर्जा निकल गया है। अब सूचना एवम् प्रसारण में ऐसा कुछ बड़ा नहीं है जो वह प्रदेश को दे पायेंगे। खेल मन्त्रालय से वह खेलों के लिये प्रदेश की मद्द कर सकते हैं। क्रिकेट में जो कुछ उन्होने प्रदेश के लिये किया है उससे उनकी प्रदेश के युवा वर्ग में एक विशेष पहचान बनी है। क्रिकेट में जो कुछ उन्होने किया है तब उनके पास मन्त्री पद भी नहीं था। इसी से अनुराग पर प्रदेश की जनता का भरोसा बना है। जनता को यह विश्वास है कि अनुराग को जब भी प्रदेश के लिये कुछ करने का मौका मिलेगा तो इसमें वह पीछे नहीं हटेंगे। लेकिन इसी के साथ एक बड़ा सवाल यह भी आ जाता है कि क्या राज्य सरकार अनुराग को वांच्छित सहयोग भी देगी या नही।

स्मरणीय है कि जयराम के ही एक सहयोगी मन्त्री ने एक समय यह आरोप लगाया था कि अनुराग ने जितना पैसा धर्मशाला स्टेडियम पर लगाया है उतने पैसे के साथ तो वह हर जिले में स्टेडियम बना देते। शायद इसी धारणा के चलते धर्मशाला में हुई इन्वैस्टर मीट में स्टेडियम का जिक्र तक नही किया गया था। अनुराग ने यह मीट के प्रबन्धकों को सुना भी दिया था। यही नहीं केन्द्रिय विश्वविद्यालय के देहरा परिसर के लिये ज़मीन उपलब्ध करवाने के मामले में अनुराग और जयराम का सौहार्द एक सार्वजनिक सभा में पूरी जनता के सामने आ ही चुका है। अब भी इस यात्रा के दौरान जब अनुराग ने यह कहा कि बहुत सारी योजनाएं इसलिये रह गयी हैं क्यांकि जयराम सरकार इसके लिये ज़मीन उपलब्ध नहीं करवा पायी है। इस सबसे यह स्पष्ट हो जाता है कि अनुराग और जयराम सरकार में अन्दर के रिश्ते कितने मधुर हैं। ऐसे में विश्लेषको का यह मानना है कि यदि भाजपा हाईकमान अनुराग को मिले जन समर्थन का लाभ चुनावों में लेना चाहती है तो उसे नेतृत्व के प्रश्न पर अभी दो टूक फैसला लेना होगा अन्यथा यह समर्थन अनुराग की व्यक्तिगत पूंजी हो कर ही रह जायेगा।

"भाजपा को वोट नहीं" उपचुनावों से ही शुरू हो जायेगा किसान नेताओं का विरोध

शिमला/शैल। अनुराग ठाकुर की जन आशीर्वाद योजना से प्रदेश को क्या हासिल हुआ है? प्रदेश सरकार और भाजपा को इससे क्या लाभ मिलेगा? यह वह सवाल है जिन पर अब इस यात्रा के बाद चर्चाएं उठेंगी। प्रदेश में यह यात्रा पूरी तरह सफल रही है यदि यात्रा के दौरान अनुराग को देखने, मिलने आयी भीड़ को सफलता का मानक माना जाये। जब यह यात्रा पहले दिन हिमाचल भवन चण्डीगढ़ से शुरू हुई थी तो वहां पर किसान नेताओं ने इस यात्रा का विरोध किया था। केन्द्र सरकार से कुछ सवाल उठाये थे लेकिन यात्रा के आयोजकों ने किसान नेताओं से जिस तरह से अभद्र व्यवहार किया और अनुराग ठाकुर ने न तो इस व्यवहार पर कोई टिप्पणी की और न ही किसान नेताओं से मिलने का प्रयास किया। किसान पिछले एक वर्ष से भी अधिक समय से आन्दोलन पर हैं। पंजाब-हरियाणा में इस आन्दोलन का प्रभाव सामने भी आ चुका है। हिमाचल पर पंजाब-हरियाणा का बहुत असर पड़ता है इसको नजरअन्दाज नहीं किया जा सकता। चण्डीगढ़ में हुए इस तरह

के व्यवहार का ही परिणाम है कि प्रदेश किसान संयुक्त मोर्चा के नेताओं और हिमाचल किसान यूनियन के नेताओं ने शिमला में एक पत्रकार वार्ता का आयोजन करके यह घोषणा कर दी है कि वह हिमाचल में आगे आने वाले उपचुनावों में भाजपा के विरोध में काम करेंगे। प्रदेश की जनता से भाजपा को वोट न देने की अपील करेंगे। किसान नेताओं अनेंन्द्र सिंह नॉटी और डा. कुलदीप तन्वर ने साफ ऐलान किया है कि राकेश टिकैट मण्डी और कुल्लु में जन सभाएं करके किसानों को जागरूक करेंगे। अर्की, जुब्बल-कोटखाई और फतेहपुर में संयुक्त किसान मोर्चा और भारतीय किसान यूनियन के अन्य नेता जनता को भाजपा के खिलाफ जागरूक करेंगे। किसान नेताओं ने साफ कहा है कि उनका भाजपा के खिलाफ यह कार्यक्रम 2024 तक जारी रहेगा।

किसान आन्दोलन तब तक जारी रहेगा जब तक तीनों कृषि विधेयकों को केन्द्र वापिस नही ले लेता। इस समय जिस तरह का स्टैण्ड केन्द्र ने ले रखा है उससे यह इंगित होता है कि 2024 तक किसान आन्दोलन चलेगा और भाजपा को इसका नुकसान उठाना ही पड़ेगा।

इस परिपेक्ष में भाजपा के हर नेता को किसान समस्याओं और किसान आन्दोलन पर अपनी एक अलग समझ भी बनानी होगी जिसमें अनुराग ठाकुर से शायद चूक हो गयी है या वह अन्दाजा ही नहीं लगा पाये कि इस यात्रा के दौरान ही किसान नेताओं का ऐसा स्टैण्ड सामने आ जायेगा और उपचुनावों में ही प्रदेश सरकार को इसका सामना करना पड़ जायेगा।

राज्यपाल और मुख्यमंत्री ने कल्याण सिंह के निधन पर शोक व्यक्त किया

शिमला/शैल। राज्यपाल राजेन्द्र विश्वनाथ आर्लेकर और मुख्यमंत्री जय राम ठाकुर ने उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री तथा पूर्व राज्यपाल कल्याण सिंह के निधन पर शोक व्यक्त किया है।

अपने शोक संदेश में राज्यपाल ने कहा कि कल्याण सिंह वरिष्ठ राजनेता, दूरदृष्टा और कुशल प्रशासक थे। मुख्यमंत्री के तौर पर उन्होंने गरीब, पिछड़े और समाज के सबसे निचले वर्ग के लिये बहुत काम किया।

मुख्यमंत्री ने कहा कि कठिन परिस्थितियों का सामना करने की कल्याण सिंह में अदभुत क्षमता थी और वह सच्चे धर्मानुयायी थे। जब वह राज्यस्थान के राज्यपाल थे तो कुछ समय के लिये उनके पास हिमाचल के राज्यपाल का भी अतिरिक्त कार्यभार रहा। समाज को दिये गए उनके योगदान को कभी भुलाया नहीं जा सकता।

आर्लेकर व जय राम ठाकुर ने ईश्वर से दिवंगत आत्मा की शांति के लिये प्रार्थना की है और शोकाकुल परिवार के प्रति अपनी संवेदनाएं व्यक्त की हैं।

खाद्य तेलों पर अनुदान से प्रदेश के 18.71 लाख कार्डधारक होंगे लाभान्वित : मुख्यमंत्री

शिमला। मुख्यमंत्री जय राम ठाकुर ने कहा कि प्रदेश सरकार राज्य के लोगों के हितों की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध हैं। उन्होंने कहा कि विशेषकर समाज के कमजोर वर्गों को आवश्यक वस्तुओं पर उचित अनुदान प्रदान कर राहत प्रदान की जा रही है। जय राम ठाकुर ने कहा कि राज्य सरकार सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से प्रदेश के उपभोक्ताओं को 32 लाख लीटर खाद्य तेल प्रदान कर रही है। राज्य सरकार उपभाक्ताओं को राहत प्रदान करने के लिए खाद्य तेलों में बी.पी. एल. परिवारों को 10 रुपये प्रति लीटर और ए.पी.एल. परिवारों को पांच रुपये प्रति लीटर रुपये की सब्सिडी प्रदान कर रही है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य के उपभोक्ताओं को और अधिक राहत प्रदान करने के लिए प्रदेश सरकार ने बी.पी.एल. परिवारों के लिए खाद्य तेलों पर आगामी चार महीनों के लिए अनुदान राशि दस रुपये से बढ़ाकर 30 रुपये प्रति लीटर और ए.पी. एल. परिवारों के लिए पांच रुपये से बढ़ाकर 10 रुपये प्रति लीटर करने का निर्णय लिया है। इस निर्णय से अगले चार महीनों में उपभोक्ताओं को 13 करोड़ रुपये का अतिरिक्त वित्तीय लाभ प्राप्त होगा।

जय राम ठाकुर ने कहा कि राज्य सरकार के इस निर्णय से प्रदेश के 18.71 लाख कार्ड धारक लाभान्वित होंगे। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार उपभोक्ताओं की आवश्यकताओं के प्रति हमेशा संवेदनशील रही है और उन्हें लाभान्वित करने के लिए समय-समय पर कई कदम उठाए हैं।

राष्ट्रीय छात्रवृत्ति पोर्टल के सम्बन्ध में शिक्षा विभाग के दिशा-निर्देश

शिमला/शैल। उच्च शिक्षा विभाग के एक प्रवक्ता ने कहा कि विभाग विभिन्न राज्य, केन्द्रीय व अल्पसंख्यक प्रायोजित छात्रवृत्ति योजनाओं और डीबीटी मिशन के तहत सत्र 2021-2022 के लिए आवेदन करने तथा आवेदन पत्र ऑनलाइन जमा करने के लिए राष्ट्रीय छात्रवृत्ति पोर्टल एनएसपी (https://scholarships.gov.in) खोलने जा रहा है। उन्होंने कहा कि सभी हितधारकों से परामर्श कर पोर्टल को और सुरक्षित करने के लिए विभिन्न उपायों को लागू करने का निर्णय लिया गया है।

उन्होंने कहा कि संस्थान/जिला नोडल अधिकारियों (आईएनओ/ डीएनओ) द्वारा आवेदनों के सत्यापन से पहले उनके आधार आधारित जनसांख्यिकीय प्रमाणीकरण को अनिवार्य कर दिया गया है, जिसके लिए आईएनओ/डीएनओ को एनएसपी पोर्टल पर अपना आधार नंबर प्रदान करना होगा। एल 1 और एल 2 स्तर के अधिकारियों के आधार आधारित प्रमाणीकरण की सुविधा को एनएसपी पोर्टल पर लाइव कर दिया गया है और प्रक्रिया के दौरान जारी ओ टीपी को आईएनओ/डीएनओ/एसएनओ के आधार के साथ पंजीकृत मोबाइल नंबर पर भेजा जाएगा। एनएसपी भविष्य में सभी संचार और ओटीपी भेजने के लिए एक ही मोबाइल नंबर का उपयोग करेगा। आईएनओ का एनएसपी लॉगिन, आईएनओ के आधार नंबर का उपयोग करके एनएसपी में केवाईसी के पूरा होने के बाद परिचालन में होगा।

उन्होंने कहा कि एनएसपी पोर्टल पर आधार में दिए गए लाभार्थी छात्रों के नाम, लिंग और जन्म के वर्ष के आधार पर जनसांख्यिकीय प्रमाणीकरण की सुविधा शुरू की गई है।

उन्होंने सभी संस्थानों, स्कूलों, कॉलेजों, विश्वविद्यालयों के सभी प्रमुखों, उच्च शिक्षा के उप निदेशकों को इन निर्णयों पर उचित कार्रवाई शुरू करने का आग्रह किया।

विभागीय अधिकारी आपसी समन्वय से विकास कार्यों को समयबद्ध करें पूरा:निपुण जिंदल

शिमला/शैल। उपायुक्त कांगड़ा डा निपुण जिंदल ने कहा कि विकास कार्यों को समयबद्ध पूरा करने के लिए कारगर कदम उठाने के निर्देश विभागीय अधिकारियों को दिए गए हैं। इस बाबत मिनी सचिवालय में उपायुक्त डा निपुण जिंदल की अध्यक्षता में समीक्षा बैठक भी आयोजित की गई। उपायुक्त डा निपुण जिंदल ने कहा कि आपसी समन्वय के साथ सभी विभागीय अधिकारी कार्य करें ताकि विकास कार्यों को गति मिल सके।

उन्होंने कहा कि जिन विकास कार्यों के लिए धनराशि स्वीकृत की गई है और अभी तक कार्य आरंभ नहीं हुए हैं उसकी रिपोर्ट भी तैयार करने के लिए कहा गया है जिसमें कार्य आरंभ नहीं होने बारे विस्तृत ब्यौरा भी अधिकारियों से मांगा गया है ताकि जिला स्तर पर आवश्यक कदम उठाए जा सकें।

उपायुक्त डा निपुण जिंदल ने कहा कि विकास कार्यों में गुणवत्ता का भी विशेष ध्यान रखा जाए तथा विभागीय अधिकारी नियमित तौर पर विकास कार्यों का निरीक्षण भी सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा कि जिन विकास कार्यों को आरंभ करने के लिए वन विभाग की क्लीयरेंस की आवश्यकता होगी उस के लिए भी तत्परता के साथ कदम उठाए जाएंगे।

उन्होंने कहा कि जिला प्रशासन की ओर डीसी आफिस में फाइलों के सुचारू निस्तारण के लिए ई-फाईल प्रबंधन व्यवस्था पहली सितंबर से आरंभ कर दी जाएगी ताकि लोगों की शिकायतों तथा समस्याओं के बारे में प्राप्त आवेदनों की ट्रेसिंग आसान हो जाएगी और उनका समाधान भी समयबद्ध तरीके से किया जाएगा।

राज्यपाल व मुख्यमंत्री ने दी रक्षा बंधन की बधाई

शिमला/शैल। राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर और मुख्यमंत्री जय राम ठाकुर ने प्रदेशवासियों को रक्षा बंधन के पावन अवसर पर बधाई दी है।

राज्यपाल ने विश्वास व्यक्त किया है कि रक्षा बन्धन का त्यौहार जहां आपसी भाई-चारे को बढ़ाएगा, वहीं समाज में सौहार्दपूर्ण वातावरण स्थापित करने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा।

मुख्यमंत्री जय राम ठाकुर ने कहा कि यह पर्व भाई-बहन के बीच प्यार, स्नेह और परस्पर विश्वास का प्रतीक है। उन्होंने कहा कि रक्षा बन्धन का त्यौहार परिवार व समाज में आपसी भाई-चारे को सुदृढ़ करता है। प्रदेश व देश में शांति, सौहार्द व आपसी भाई-चारे को बढ़ाने की दिशा में यह एक महत्वपूर्ण त्यौहार है।

हिमाचल के लिए नई विज्ञान, प्रौद्योगिकी और नवाचार नीति मंजूर

शिमला/शैल। मुख्यमंत्री जय राम ठाकुर ने बताया कि राज्य सरकार ने आत्मनिर्भर भारत अभियान को केंद्र में रखते हुए व्यक्तियों और संगठनों की ओर से अनुसंधान और नवाचार को बढ़ावा देने वाले पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण कर व्यापक बदलाव लाने के लिए नई विज्ञान, प्रौद्योगिकी और नवाचार नीति तैयार कर अनुमोदित की है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि भारत सरकार की विज्ञान, प्रौद्योगिकी और नवाचार (एसटीआई नीति) 2020 से प्रेरणा लेते हुए हिमाचल प्रदेश विज्ञान, प्रौद्योगिकी और पर्यावरण परिषद् (हिमकोस्टे) ने राज्य के लिए यह नीति राष्ट्र की तर्ज पर तैयार की है।

उन्होंने कहा कि राज्य के विभिन्न शैक्षणिक और अनुसंधान संस्थानों के लगभग 30 हितधारक विभागों, कार्यकारी समूह के सदस्यों, कुलपतियों और वैज्ञानिकों के कोर ग्रुप और प्रमुखों व प्रतिनिधियों के साथ विभिन्न दौर के विचार-विमर्श के बाद प्रारूप दस्तावेज को अंतिम रूप दिया गया है। इसके बाद मसौदा दस्तावेज को राज्य मंत्रिमंडल ने अनुमोदित किया।

जय राम ठाकुर ने कहा कि इस नीति को बनाते समय पर्वतीय क्षेत्रों और समाज की बेहतरी के लिए ऊर्जा, पर्यावरण, जलवायु परिवर्तन और आपदाएं, भोजन और पोषण, पानी और स्वच्छता, आवास, कम लागत पर स्वास्थ्य देखभाल, कौशल निर्माण और बेरोजगारी जैसे महत्वपूर्ण पहलुओं के समग्र सतत् विकास को ध्यान में रखा गया है।

उन्होंने कहा कि नई नीति का उद्देश्य अनुसंधान और विकास संस्थानों और नवाचार केंद्रों को मजबूत करना, प्राथमिकता वाले अनुसंधान एवं विकास क्षेत्रों की पहचान करना और वैज्ञानिक अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए मंच प्रदान करना, नवाचार के लिए उपयुक्त पारिस्थितिकी तंत्र को बढ़ावा देना व विकसित करना और आत्मनिर्भरता के राष्ट्रीय उद्देश्यों को पूरा करना है। तकनीकी क्षमता और सामाजिक, आर्थिक विकास के लिए स्वदेशी संसाधनों का अधिकतम उपयोग भी इसमें शामिल है।

पर्यावरण विज्ञान प्रौद्योगिकी विभाग के प्रमुख सचिव कमलेश कुमार पंत ने बताया कि राज्य की इस नीति को अंतिम रूप देने के लिए राज्य के विभिन्न विश्वविद्यालयों और अनुसंधान संस्थानों से प्लांट जेनेटिक्स और आईपीआर, कृषि, बागवानी, इंजीनियरिंग, व्यावहारिक जैव प्रौद्योगिकी, वानिकी, जैव विज्ञान और जैव विविधता, रिमोट सैंसिंग, जल, वन्यजीव, गणित, मौसम विज्ञान, जलवायु परिवर्तन और भौतिकी आदि जैसे विभिन्न क्षेत्रों से प्रसिद्ध वैज्ञानिकों का एक कोर समूह गठित किया गया था।

उन्होंने कहा कि रणनीति के संस्थागतकरण के लिए 17 संयुक्त राष्ट्र सतत् विकास लक्ष्यों के साथ परिभाषित जुड़ाव और तालमेल के माध्यम से संबंधित विभागों के समन्वय के साथ विभिन्न कार्य बिंदुओं को अपनाया गया है।

कोरोना की सम्भावित तीसरी लहर से निपटने सभी आवश्यक प्रबन्ध पूरे:मुख्यमंत्री

शिमला/शैल। मुख्यमंत्री जय राम ठाकुर ने राज्य के लोगों से कोविड-19 टीकाकरण अभियान में भाग लेने का आग्रह किया है, ताकि इस महामारी की सम्भावित तीसरी लहर को रोका जा सके। उन्होंने कहा कि महाविद्यालय, टाण्डा और प्रदेश के अन्य सभी प्रमुख स्वास्थ्य संस्थानों में स्वास्थ्य सेवाओं को सुदृढ़ करने के लिए सभी प्रभावी कदम उठाए जा रहे हैं।

उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री सेवा

प्रदेश सरकार ने बड़े पैमाने पर टीकाकरण अभियान शुरू किया है और हिमाचल प्रदेश इस अभियान में देश में अग्रणी राज्य है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार कोरोना महामारी की स्थिति से निपटने के लिए पूरी तरह से तैयार है और इस महामारी की सम्भावित तीसरी लहर से निपटने के लिए सभी आवश्यक प्रबन्ध पूरे कर लिए गए हैं। उन्होंने कहा कि डॉ. राजेंद्र प्रसाद राजकीय चिकित्सा संकल्प हेल्पलाइन-1100 जन शिकायतों के त्वरित समाधान प्रदान करने में सहायक सिद्ध हो रही है। इस हेल्पलाइन के माध्यम से अब तक लगभग 2.48 लाख शिकायतें प्राप्त हुई हैं, जिनमें से अधिकांश का निवारण कर दिया गया है। उन्होंने कहा कि कोविड-19 के कारण पिछले कुछ महीनों से इसका आयोजन नहीं किया जा रहा है, परन्तु स्थिति सामान्य होते ही यह कार्यक्रम फिर से आरम्भ कर दिया जाएगा।

शैल समाचार
संपादक मण्डल
संपादक- बलदेव शर्मा
सयुक्त संपादक:जे.पी.भारद्वाज
विधि सलाहकार: ऋचा
अन्य सहयोगी
भारती शर्मा
रीना
राजेश ठाकुर
सुदर्शन अवस्थी

HIMACHAL PRADESH
PUBLIC WORKS DEPARTMENT
e-Procurement Notice
INVITATION FOR BIDS (IFB)

1.The Executive Engineer HPPWD Kotkhai Distt Shimla H.P on behalf of Governor of H.P invites the online bids on item rate, in electronic tendering system, in 2 Cover System for the under mentioned work from the eligible and approved contractors/Firms registered with HPPWD Department.

Sr.No.	Name of Work	Estimated Cost	EMD	Cost of Tender	Time	Eligible Class of Contractor
1.	Improvement of Gazta Joney Garaog Nihari Road in K.M. 0/00 to 16/00 (SH:-C/o R/Wall at R.D. 9/960 to 9/974)	Rs.9,57,662/-	Rs.19,200/-	Rs. 350/-	Two Month	Class D And Class C

Tender document and other instructions can be downloaded or viewed online from the portal **https://hptenders.gov.in** by the firm/individual registered on the website which is free of cost.

Key Dates:

1. Date of Online Publication	20-08-2021 1100 HRS
2. Document Download Start and End Date	20-08-2021 1100 HRS upto 31-08-2021 1730 HRS
3. Bid Submission Start and End Date	20-08-2021 1130 HRS upto 31-08-2021 1800 HRS
4. Physical Submission of EMD and Cost of Tender Document	01-09-2021 upto 1030 HRS
5. Date of Technical Bid opening,	01-09-2021 1100 HRS
6. Evaluation of Technical Bid followed by Opening of Financial Bid.	Date to be announced

Adv. No. 3465/21-22 **HIM SUCHANA AVAM JAN SAMPARK**

सम्मान, विश्वास और आशीर्वाद के लिये प्रदेशवासियों का आभार: अनुराग ठाकुर

शिमला/शैल। हिमाचल प्रदेश के शिमला ग्रामीण के शोघी में भाजपा की जन आशीर्वाद रैली का जोरदार स्वागत किया। उन्होंने शिमला ग्रामीण मंडल की ओर से माँ तारा का चित्र भी भेंट किया गया। केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण और युवा मामले एवं खेल 'मोदी

सरकार के नए मंत्रीपरिषद में पिछड़े वर्गों की अब तक की सर्वोच्च संख्या है- 27 ओबीसी (35%), 12 एससी (15%), 8 एसटी (10%) और 11 महिलाओं को मंत्री पद दिया गया है। इसके अलावा भारत के इतिहास में सबसे युवा मंत्रिमंडल में अल्पसंख्यकों से 5 मंत्री एवं 24 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों का प्रतिनिधित्व है, जिसमें 5 मंत्री असम, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर और त्रिपुरा से हैं। मंत्रियों में 13 वकील, 6 डॉक्टर, 5 इंजीनियर और 7 सिविल सेवक हैं, जबकि 7 नए मंत्रियों के पास पीएचडी, 3 के पास एमबीए की डिग्री और 68 स्नातक हैं।

अनुराग ठाकुर ने कहा भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं की पार्टी है और इसका हर एक कार्यकर्ता पार्टी की मज़बूत धुरी है। इस जनआशीर्वाद यात्रा के दौरान पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं द्वारा मिला सम्मान व आशीर्वाद अभिभूत व भाव विभोर करने वाला है। प्रधानमंत्री ने दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र में मुझे इतनी कम उम्र में कैबिनेट में मंत्री बना कर पूरे हिमाचल प्रदेश को सम्मानित किया है। यह हम सब के लिए गर्व की बात है। 5 दिन की इस जनआशीर्वाद यात्रा का उद्देश्य जन-जन तक मोदी सरकार की नीतियों को पहुँचाना, विपक्ष की नकारात्मकता को उजागर करना व जनता का आशीर्वाद प्राप्त करना है।

विपक्ष की नकारात्मक सोच पर कटाक्ष करते हुए ठाकुर ने कहा, जब प्रधानमंत्री मोदी संसद में नए मंत्री परिषद का परिचय कराना चाहते थे और देश को बताना चाहते थे कि समाज के विभिन्न वर्गों और देश के कोने कोने से नए मंत्री बनाए गए हैं, तब विपक्ष ने उन्हें वह परिचय नहीं कराने दिया। कांग्रेस का एकमात्र लक्ष्य है हल्ला करके संसद को ना चलने देना। सड़क से संसद तक अराजकता, अराजकता और सिर्फ़ अराजकता ही विपक्ष का एकमात्र एजेंडा है। ना जनता का हित, ना टैक्सपेयर के पैसे की कद्र और ना ही संवैधानिक मूल्यों की गरिमा की फ़िक्र इन्हें कभी रही है।

आज आपके बीच में आकर मैं आपको यही विश्वास दिलाना चाहता हूं कि आपका प्यार और आशीर्वाद हममें और जोश भरेगा।

मुख्यमंत्री ने की पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी को पुष्पांजलि अर्पित

शिमला/शैल। मुख्यमंत्री जय राम ठाकुर ने पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की 77वीं जयंती के अवसर पर छोटा शिमला स्थित सद्भावना चौक में उनकी प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित की।

इस अवसर पर मीडिया से बातचीत करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी के सूचना प्रौद्योगिकी, दूरसंचार और शिक्षा के क्षेत्रों में दिए गए योगदान को देशवासी हमेशा याद रखेंगे। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री के रूप में अपने कार्यकाल के दौरान राजीव गांधी ने आपसी सहमति, सहभागिता के माध्यम से राजनैतिक, आर्थिक, सावर्जनिक जीवन और नैतिकता के क्षेत्र में व्यापक बदलाव का अनुकरणीय उदाहरण प्रस्तुत किया।

ऊर्जा मंत्री सुखराम चौधरी, वन मंत्री राकेश पठानिया, कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष कुलदीप राठौर, शिमला नगर निगम की महापौर सत्या कौंडल और अन्य नेताओं ने पूर्व प्रधानमंत्री को उनकी जयंती के अवसर पर पुष्पांजलि अर्पित की।

नौणी विश्वविद्यालय के अधिकारियों ने अफगान छात्रों से बातचीत कर जाना परिवार का हाल

शिमला/शैल। डॉ. यशवंत सिंह परमार औद्यानिकी एवं वानिकी विश्वविद्यालय नौणी के प्रशासनिक अधिकारियों ने विश्वविद्यालय में शिक्षा ग्रहण कर रहे अफगानिस्तान के छात्रों से बातचीत की और उनके परिवार का हाल चाल जाना। वर्तमान में विवि में अफगानिस्तान के आठ छात्र पीएचडी, एमएससी और एमबीए कार्यक्रमों में शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। इन छात्रों को भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा फेलोशिप प्रदान की गई है। विश्वविद्यालय के कुलसचिव प्रशांत सरकेक, छात्र कल्याण अधिकारी डॉ. जे के दूबे और अंतरराष्ट्रीय छात्रावास के वार्डन डॉ.आर के गुप्ता ने सभी छात्रों के साथ बैठक की। यह बैठक कुलपति डॉ. परविंदर कौशल के निर्देश पर की गई। विश्वविद्यालय के कुलसचिव ने छात्रों से बात की और उन्हें विश्वविद्यालय में शिक्षा और उनके ठहरने को आरामदायक बनाने के लिए सहयोग का आश्वासन दिया। चूंकि पिछले साल कोविड़ के कारण शैक्षणिक सत्र देरी से शुरू हुआ था, इसलिए विश्वविद्यालय ने कुछ छात्रों के वीजा के विस्तार की एप्लिकेशन को पहले ही संबन्धित विभाग को भेज दिया है और उन्हें उनकी डिग्री पूरी करने की प्रक्रिया में तेजी लाने का आश्वासन दिया है। कुलसचिव ने सभी छात्रों से उनके परिवारों का हालचाल भी जाना। छात्र कल्याण अधिकारी डॉ. जे के दूबे ने कहा कि विश्वविद्यालय ने यह सुनिश्चित किया है कि इन छात्रों को वैक्सीन की दूसरी खुराक अग्रिम रूप से दी जाए ताकि जरूरत पड़ने पर इन छात्रों को अपने देश की यात्रा करने में कोई परेशानी न हो। सभी अफगान छात्रों ने विश्वविद्यालय प्रशासन, कर्मचारियों, छात्रों और आईसीएआर से मिल रहे सभी समर्थन के आभार व्यक्त किया।

पर्यटक नही सामाजिक समारोह, विवाह समारोह, दावतें हैं महामारी फैलने का कारण:मुख्यमंत्री

शिमला/शैल। मुख्यमंत्री जय राम ठाकुर ने प्रदेश में कोविड-19 मामलों में अचानक आई वृद्धि को देखते हुए राज्य के सभी उपायुक्तों को विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में कॉन्टेक्ट ट्रेसिंग पर ध्यान केंद्रित करने का निर्देश दिये।

वह शिमला से वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से उपायुक्तों और पुलिस अधीक्षकों के साथ कोविड-19 स्थिति की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे।

जय राम ठाकुर ने कहा कि राज्य में वर्तमान में कोरोना वायरस के लगभग 2700 सक्रिय मामले हैं और यह चिंता का विषय है कि बहुत ही कम समय में मामलों में वृद्धि हुई हैं। उन्होंने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों से अधिकांश मामले सामने आए हैं, जबकि प्रमुख पर्यटन स्थलों सहित शहरी क्षेत्रों में बहुत कम मामले सामने आए हैं, जो दर्शाता है कि पर्यटकों के आगमन का राज्य के विभिन्न हिस्सों में कोई प्रभाव नहीं पड़ा है। उन्होंने कहा कि इस महामारी के फैलने के प्रमुख कारण सामाजिक समारोह, विवाह समारोह, दावतें आदि हैं।

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में पर्याप्त ऑक्सीजनयुक्त और सामान्य बिस्तर, ऑक्सीजन कन्सट्रेटर, परीक्षण किट और वेंटिलेटर हैं और 28 अतिरिक्त पीएसए संयंत्र स्थापित करने का कार्य प्रगति पर है। उन्होंने कहा कि आठ पीएसए संयंत्रों पर कार्य पहले ही पूरा हो चुका है तथा 31 अगस्त, 2021 तक दस और पीएसए संयंत्रों के कार्य पूर्ण हो जाएंगे।

जय राम ठाकुर ने कुल्लू, मंडी, शिमला, चंबा और किन्नौर के जिला प्रशासन को इन जिलों के विभिन्न हिस्सों में चल रहे सेब सीजन को ध्यान में रखते हुए मजदूरों की जांच की व्यवस्था करने के निर्देश दिए और दस दिनों के भीतर 18 वर्ष से अधिक आयु के सभी लोगों का टीकाकरण करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।

मुख्यमंत्री ने उपायुक्तों को पीएसए संयंत्रों की स्थापना के लिए सिविल और विद्युत कार्यों की निगरानी करने के निर्देश दिए ताकि मरीजों को यह सुविधा शीघ्रातिशीघ्र उपलब्ध कराई जा सके। उन्होंने कहा कि सीमा और अन्य क्षेत्रों में चेकिंग की व्यवस्था को मजबूत करने के लिए पुलिस विभाग की निधि और मानव संसाधन को बढ़ाया जाएगा। उन्होंने इस बात पर भी बल दिया कि जिलों को सेब सीजन के दौरान सड़कों के रख-रखाव और वाहनों के सुचारू संचालन की तैयारी पर ध्यान देना चाहिए। पुलिस महानिदेशक संजय कुंडू ने इस महामारी के प्रसार को रोकने के लिए धार्मिक और सामाजिक कार्यक्रमों की निगरानी करने की आवश्यकता पर बल दिया।

सचिव स्वास्थ्य अमिताभ अवस्थी ने कहा कि प्रदेश में 4-5 दिनों के भीतर सभी लोगों को कोरोना वैक्सीन की पहली खुराक दे दी जाएगी। अब केवल 124 कोरोना संक्रमित लोग अस्पतालों में भर्ती हैं।

मुख्यमंत्री ने 17 अग्निशमन वाहनों को दिखाई हरी झंडी

शिमला/शैल। मुख्यमंत्री जय राम ठाकुर ने प्रदेश के विभिन्न भागों में स्थित अग्निशमन केंद्रों और उप-अग्निशमन केंद्रों के लिए अग्निशमन सेवाएं विभाग के 17 अग्निशमन वाहनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री जय राम ठाकुर ने कहा कि

यह वाहन किन्नौर, माल रोड़ शिमला, पांवटा साहिब, बिलासपुर, कुल्लू, बद्दी, परवाणु, नालागढ़, ऊना और चम्बा के अग्निशमन केंद्रों, झंण्डुता और गोहर के उप-अग्निशमन केंद्र तथा जुब्बल, पतलीकूहल, संसारपुर टैरेस, पधर और जोगिन्द्रनगर की दमकल चौकी को प्रदान किए जाएंगे।

जय राम ठाकुर ने कहा कि प्रदेश सरकार ने पिछले तीन सालों के दौरान अग्निशमन वाहनों एवं अन्य उपकरणों की खरीद के लिए 21.26 करोड़ रुपये तथा अग्निशमन विभाग के विभिन्न भवनों के निर्माण के लिए 17.46 करोड़ रुपये व्यय किए हैं। उन्होंने कहा कि इससे प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में बेहतर अग्निशमन सेवाएं उपलब्ध होंगी।

हिमाचल वन विभाग राज्य भर में 1.4 करोड़ पौधे लगाएगा

शिमला/शैल। वन विभाग हिमाचल प्रदेश ने पूरे राज्य में 1.4 करोड़ पौधे लगाने का लक्ष्य रखा है। वन विभाग के डीएफओ (प्रचार) अनीश शर्मा ने पीआईबी को बताया कि विभाग ने चालू वर्ष के लिए विभिन्न वृक्षारोपण गतिविधियों की योजना बनाई है। उन्होंने कहा कि स्थानीय समुदाय के साथ वृक्षारोपण अभियान चलाया गया जिसमें राज्य भर में पूर्व निर्धारित 246 स्थलों पर स्थानीय समुदाय को शामिल किया गया। अभियान के दौरान करीब 10 लाख पौधे रोपे गए।

प्रवक्ता ने कहा कि राज्य में रेड क्रॉस सोसायटी के सहयोग से 100 से अधिक स्थलों को पौधारोपण के लिए भी नामित किया गया है। उन्होंने कहा कि इस वर्ष की सबसे महत्वपूर्ण पहल प्रत्येक नगर पालिका और पंचायत के प्रत्येक वार्ड सदस्य को 51 पौधे वितरित करना है, ताकि क्षेत्र के स्थानीय लोग वृक्षारोपण में भाग ले सकें।

शर्मा ने आगे कहा कि गैर सरकारी संगठनों, स्थानीय समुदायों जैसे युवा क्लबों, महिला मंडलों, नेचर क्लबों, पर्यावरणविदों आदि को भी ऐसी गतिविधियों में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है।

एक बिगड़ैल गाय सौ कुत्तों से ज्यादा श्रेष्ठ है अर्थात एक विपरीत स्वाभाव का परम हितैषी व्यक्ति, उन सौ लोगों से श्रेष्ठ है जो आपकी चापलूसी करते है। .....चाणक्य

सम्पादकीय

क्रीमी लेयर के मानक पर अमल क्यों नही

अन्य पिछड़ा वर्गो के लिये 1979 में जब तब की जनता पार्टी सरकार ने वीपी मण्डल की अध्यक्षता मे आयोगा का गठन किया था तब पूर्व जन संघ भी जनता पार्टी और उसकी सरकार में शामिल था। क्योंकि 1977 में कांग्रेस के विरोध में वाम दलों को छोड़कर अन्य लगभग सभी विपक्षी दलों ने अपने को विलय करके जनता पार्टी का गठन किया था। 1979 में जब मण्डल आयोग का गठन किया गया था तब जनता पार्टी में विलय हुए किसी भी घटक ने इसका विरोध नहीं किया था। यदि 1980 में मण्डल आयोग की रिपोर्ट आने से पहले ही जनता पार्टी की सरकार न गिर जाती तो शायद उसी दौरान मण्डल की सिफारिशें लागू हो जाती और कोई विरोध न होता। 1980 के बाद केन्द्र में गैर कांग्रेसी सरकार 1989 में वीपी सिंह की अध्यक्षता में बनी और जन संघ से बनी भाजपा भी इस सरकार में शामिल थी। इसलिये यह आशंका ही नहीं थी कि भाजपा मण्डल की सिफारिशों को विरोध करेगी। बल्कि मण्डल की सिफारिशों का प्रारूप सारी राज्य सरकारों को उनकी राय जानने के लिये भेजा गया था। शायद किसी भी राज्य सरकार ने इसका विरोध नहीं किया। कुछ ने इस पर खामोशी अपना ली भी जिनमें हिमाचल की शान्ता सरकार भी शामिल थी। इस परिदृश्य में जब यह सिफारिशें लागू की गयी तब जो विरोध हुआ उसे भाजपा का प्रायोजित विरोध माना गया जो वीपी सिंह की सरकार गिरने के साथ ही समाप्त हो गया।

इस तरह जो विरोध उस समय शुरू हुआ था वह आज तक किसी न किसी शक्ल में चलता आ रहा है। आरक्षण विरोधीयों में यह धारणा बन चुकी है कि भाजपा की सरकार ही इसे समाप्त करेगी। इसी धारणा के परिणामस्वरूप 2014 में जब से केन्द्र में भाजपा की सरकार आयी है तब से कई राज्यों में आरक्षण को लेकर आन्दोलन हो चुके हैं और यह मांग रही है कि या तो हमे भी आरक्षण दो या सबका बन्द करो। इसीके परिणामस्वरूप आज स्वर्ण आयोग गठित करने की मांग उठनी शुरू हो गयी है। जब कि भाजपा के इसी शासन में सर्वोच्च न्यायालय ने जब प्रोमोशन में आरक्षण पर रोक लगायी तब संसद में इस फैसले को पलट दिया। अब जब महाराष्ट्र सरकार के फैसले को शीर्ष अदालत ने संविधान के खिलाफ करार दिया तो इसे भी संसद में पलट कर राज्यों को अधिकार दे दिया कि वह ओबीसी की सूची अपने अनुसार तैयार कर सकते हैं। स्वभाविक है कि जब इस सूची में नये लोग जुड़ेंगे तब यह अपने लिये और आरक्षण की मांग करेंगे। तब तक रोहिणी आयोग की रिपोर्ट भी आ जायेगी और एक नया विवाद खड़ा हो जायेगा। आरक्षण जारी रहेगा और इसे कोई खत्म नही कर सकता। भाजपा ऐसा नहीं होने देगी इसकी स्पष्ट घोषणा गृहमन्त्री अमितशाह कर चुके हैं। 2014 से 2021 तक सरकार के आचरण पर यदि नजर डाली जाये तो स्पष्ट हो जाता है कि भाजपा का हर कदम आरक्षण को संरक्षण देने का ही रहा है। इस परिदृश्य मे यह नहीं लगता कि भाजपा की मोदी सरकार स्वर्ण आयोग का गठन करके स्वर्णो के लिये अलग से आरक्षण की कोई व्यवस्था कर पायेगी। **पिछले लेख में भी मैंने यह आशंका व्यक्त की थी। उस पर कई पाठकों ने इस समस्या का समाधान सुझाने का आग्रह किया है। इस पर कुछ कहने का प्रयास करूंगा।**

स्मरणीय है कि जब इस संद्धर्भ में काका कालेलकर की अध्यक्षता में पहला आयोग 1953 में गठित हुआ था उसने 1955 में अपनी रिपोर्ट सौंपते हुए यह आग्रह किया था कि इस रिपोर्ट पर अमल न किया जाये। काका कालेलकर ने भी अपने पत्र में यह सुझाव दिया था कि इन जातियों/वर्गो को मुख्य धारा में लाने के लिये आरक्षण का नहीं वरन आर्थिक प्रोत्साहन देने का प्रयास किया जाये इसके कुछ सुझाव भी दिये थे। इसके बाद जब दूसरे आयोग की सिफारिशों को 1990 में लागू किया गया और उसका जमकर विरोध हुआ तब आरक्षण का मुद्दा सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया। इन्दिरा साहनी मामले में इसका फैसला आया। सर्वोच्च न्यायालय ने आरक्षण का आधार आर्थिक संपन्नता करने को कहा। इसके लिये क्रीमी लेयर तैयार करने की बात की और उस समय उसकी सीमा एक लाख रूपये रखी गयी। लेकिन आज मोदी सरकार के आने के बाद इस क्रीमी लेयर की सीमा 2015 में आठ लाख कर दी गयी है। इस पर आज तक चार बार इस सीमा में संशोधन किया गया है। इस पर अगर गंभीरता से विचार करे तो इसका अर्थ यह निकलता है कि हर वह आदमी जिसकी आय आठ लाख नहीं है वह आरक्षण का हकदार है। आज शायद प्राईवेट सैक्टर में काम/ नौकरी करने वाले 90% लोग ऐसे नहीं मिलेंगे जो एक साल में आठ लाख कमा पाते हो या पगार लेते हों। बल्कि सरकारी क्षेत्र में नौकरी करने वालो में भी शायद 80% ऐसे कर्मचारी होंगे जो 8 लाख की बचत नहीं कर पाते हैं। तब प्रति व्यक्ति आय ही अभी तक दो लाख नही हो पायी है तो आठ लाख होने मे तो और कई दशक निकल जायेंगे। जब क्रीमी लेयर की सीमा आठ लाख कर दी गयी है तब आरक्षण का प्रतिशत भी उसी अनुपात में होना चाहिये। जब क्रीमी लेयर की यह सीमा इसी सरकार ने 2015 में की है तब उस पर अमल करने में सरकार को परेशानी क्यों होनी चाहिये। क्या क्रीमी लेयर की इस सीमा का किसी ने विरोध किया है? क्या इसी में सारी जातियां अपने आप ही शामिल नहीं हो जाती। क्रीमी लेयर के मानक पर अमल करने से किसी भी जाति के लिये अलग से कोई व्यवस्था करने की आवश्यकता नहीं रह जाती है क्योंकि यह व्यवस्था तो सुप्रीम कोर्ट ने सुझायी है। आज तो स्वर्ण आयोग की मांग करने की बजाये क्रीमी लेयर पर अमल करवाने के लिये सारी जातियों को एक मंच पर आकर इसकी मांग करनी चाहिये। जब सरकार अपनी ही व्यवस्था पर अमल करने को तैयार न हो तो उससे समझ जाना खहिये की सरकार की नीयत क्या है। इस समय जब सबकुछ आऊट सोर्स किया जा रहा है तब सरकार के पास नौकरी देने के लिये बचेगा ही क्या।

तालिबान को अफगानिस्तान में स्थापित होना है तो उसे पैगम्बर मुहम्मद के आदर्श पर ही चलना होगा

गौतम चौधरी

अभी-अभी तालिबान ने एक बार फिर अफगानिस्तान को अपने कब्जे में ले लिया। यह होना ही था, क्योंकि तालिबान, अफगानिस्तान में निवास करने वाली जनता का स्वाभाविक शासक है। जो लोग तालिबान को अफगानिस्तान से अलग करके देखते हैं, वे गलत साबित होते रहेंगे। दूसरी बात, यदि अफगानिस्तान में बाहरी देशों का सीमित हस्तक्षेप होता तो संभवत: तालिबान को थोड़ी परेशानी होती लेकिन अमेरिकी गठबंधन वाली सेना वहां जाकर बैठ गयी और अमेरिका अफगानिस्तान के साथ इस प्रकार व्यवहार करने लगा जैसे उसने तालिबान को नहा अफगानिस्तान को ही परास्त कर दिया है। अफगानी स्वाभिमानी जनमानस ने अमेरिकी गठबंधन के इस व्यवहार को चुनौती के रूप में लिया और फिर से संगठित हो, नाटो सेना के साथ लड़ाई प्रारंभ कर दी। प्रतिफल सबके सामने है।

जहां तक इस्लामिक शासन या शरिया कानून की बात है तो अफगानिस्तान में यह कभी पूर्णरूपेण सफल नहीं हो पाया। अगर तालिबान सख्ती से इस कानून को लागू करने की कोशिश करेगा तो अफगानी जनता इसे बर्दाश्त नहीं करेगी और फिर से तालिबान को अफगानिस्तान से बेदखल होना होगा। एक और बात, इस्लामिक शासन या शरिया कानून के अपने मायने हैं। यह जहां भी लागू हुआ है, संपूर्णता में लागू नहीं हुआ। सउदी अरब में भी इसे पूर्ण रूप में लागू नहीं किया जा सका और अब तो बहुत ढ़ील दी गयी है। तो तालिबान शासन में भी इसे लागू करना आसान नहीं होगा। इधर इस्लामिक कानून के भी अपने आदर्श हैं। हमारे मित्र आलम साहब बताते हैं, ''दुनिया में इस्लामिक कानून कहीं नाफिज नहीं है। पाकिस्तान में तो बिल्कुल ही नहीं है। अगर कुछ था तो सउदी अरबिया में था।'' तालिबान के बारे में उन्होंने एक उदाहरण के माध्यम से बताया। उन्होंने कहा ''जो घोड़ा बगैर लगाम सरपट दौर रहा है, उसपर पहले तो लगाम लगाना ही मुश्किल है। अगर किसी तरह लगा भी दिया तो घोड़े को एकदम से रोक देना खतरनाक ही होता है। उसी तहर तेज चलती गाड़ी में एकाएक ब्रेक लगाना दुर्घटना को आमंत्रित करना है। तालिबान ने वही किया था। अगर फिर से वह वही करेंगे तो वे सफल नहीं होंगे।'' बेशक इस्लामिक कानून लागू करें लेकिन हजरत मुहम्मद के कहे मार्ग पर चलकर, नहीं तो वे कभी सफल नहीं हो सकते हैं।'' आलम साहब कहते हैं, ''जब साहब ने नबूवत का ऐलान किया, हराम और हलाल चीजों में फर्क बताया तो एक बार ही सारी चीजें लागू नहीं की गयी। उदाहरण के तौर पर शराब को ले लीजिए। पहले उन्होंने इमान वालों से शराब के बारे में नफा नुकसान बताया। फिर उसे छोड़ने की अपील की। तारीख में दर्ज है कि जब लोगों ने शराब की बुराइयां जानी तो नालियों में शराब बहती देखी गयी।'' आलम साहब महिलाओं के बारे में पवित्र कुरान की आयतों की तर्जुमा करके कहते हैं, ''इस्लाम में महिलाओं को बाहर जाने के लिए सख्ती नहीं बरती गयी है। महिलाओं को बाहर निकलने का इस्लाम ने वसूल बताया है। कि तुम अपने जिस्म को इस तरह ढांक लो जिससे जिस्म के कोई अंग जाहिर न हो। बाहर निकलने के बाद हथेली खुली रहे और पैर, इसके अलावा कुछ भी खुला न रहे। कुरान में बताया गया है, पायल की आवाज भी दूसरों के कानों तक न पहुंचे। अपने शौहर के लिए सिंगार करो दूसरा न देखे। इसकी वजह आपको आज देखने को मिल रहा होगा। खुलेपन पर अमल करने का नतीजा आज देख रहे हैं, हम कहां से कहां चले जा रहे हैं। इस्लाम में खादिजा, फातिमा, जैनब, हारून रशीद की बीवी ऐसी कई महिलाएं हुई है, जिन्होंने इस्लाम को उन्नत किया है। इल्में दी है। इस्लाम, इल्म और इंजीनियरिंग से किसी को नहीं रोकता है। रसूल पर जो सबसे पहले कुरान की आयत नाजिल हुई वह पढ़ने को लेकर है। मसलन ''तुम अपने रब के नाम से पढ़ो, जिसने इंसान को पैदा किया, खून के लोथरे से, और पढ़ो अपने बुजुर्ग रब के नाम से, जिसने तुम्हें इंसान को वो चीजें सिखाई जो वो नहीं जानता था।'' सुरेह एकरा, पारा नंबर 30

तालिबान को यह समझना चाहिए कि वह यदि सचमुच शरिया कानून को लागू करता है तो उसे इस्लाम के आदर्श व असूलों को नहीं भूलना होगा। यदि भूला तो फिर फिरंगी उस पर आक्रमण करेंगे और उन्हें बेदखल कर दिया जाएगा। इस्लाम ने किसी पे भी जुल्म करने का रवा करार नहीं दिया है। इंसानियत अपनी जगह है और मजहब अपनी जगह है। मजहब वो चीज है कि जो उसपे अमल करेगा, उसके मुताबिक जिंदगी गुजारेगा, उसकी तरफ लोग जरूर खिंचेंगे, उसमें यह ताकत आ जाती है। साहब की पूरी जिंदगी ईमान वालों के लिए उदाहरण है। बल्कि ये कहा जाए कि यह इंसानियत के लिए उदाहरण है। मसलन, सूरा-तुल -अहजाब पारा नंबर 21 कहता है, ''तुम्हारे लिए साहब की जिंदगी ही उदाहरण है।''

इसलिए तालिबान को अफगानिस्तान की सत्ता हाथ लगी है तो वे उसे ठीक से चलाएं। अपने देश में किसी दूसरे देश, जैसे-पाकिस्तान या चीन का हस्तक्षेप न होने दें। भारत जैसे रचनात्मक यानी विकास में सहयोग करने वाले देशों के लिए अपना दरवाजा खोलें। यदि चीन या पाकिस्तान, अफगान की शर्त पर विकास योजनाएं लेकर आते हैं तो उसका स्वागत करें। तालिबान सचमुच मुसलमानों के रहनुमा हैं, तो महिलाओं को धार्मिक आधार पर जो हक प्राप्त है, उसे दें और आधुनिक समाज में जीने का माहौल तैयार करें। दुनियाभर में मुसलमानों पर जैसे चीन, म्यांमार में हो रहे अमानवीय अत्याचार के खिलाफ आवाज उठाएं। शरिया कानून के आधार पर अल्पसंख्यकों के अधिकारों की रक्षा करें। तभी तालिबान की स्वीकार्यता अफगानिस्तान में होगी अन्यथा तालिबान को पाकिस्तानी सेना का ऑपरेशन ही माना जाता रहेगा।

जिला चम्बा की पांगी घाटी में 2162 बी.पी.एल. परिवारों को उपलब्ध करवाई जाएगी ऑफ ग्रिड पॉवर प्लांट

शिमला । प्रदेश सरकार राज्य में ऊर्जा स्वतंत्रता प्राप्त करने के लिए प्रयासरत है और इस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। राज्य के जनजातीय क्षेत्र कठिन परिस्थितियों के कारण सर्दियों में ट्रांसमिशन लाइन व ग्रिड फेलियर के कारण बिजली से वंचित रह जाते हैं।

राज्य सरकार ने समावेशी विकास के लिए गरीब और जनजातिय क्षेत्रों में ऊर्जा की पहुंच प्रदान करने के लिए कठोर सर्दियों की प्रतिकूल परिस्थितियों में गरीब परिवारों को 250 वाट के सौर ऊर्जा संयंत्र प्रदान करने की पहल की है। जिला चम्बा की पांगी घाटी एक ऐसा जनजातीय क्षेत्र है जहां पर राज्य सरकार गरीबी रेखा से नीचे रह रहे परिवारों की ऊर्जा की मांग पूरा करने के लिए 250 वॉट के सौर ऊर्जा सयन्त्र उपलब्ध करवा रहे हैं। पिछले कई वर्षो से पांगी घाटी के लोग बिजली की समस्या के हल के लिए सरकार से अनुरोध कर रहे थे। विशेषकर कठोर सर्दियों के महीनों के दौरान जब पन विद्युत परियोजनाओं से उत्पादन काफी कम हो जाता है और अक्सर भारी बर्फबारी के कारण ट्रांसमिशन लाईनें टूट जाती है, ऐसे में प्रदेश सरकार ने क्षेत्र के लोगों विशेषकर गरीबी की रेखा से नीचे रहने वाले (बी.पी.एल) परिवारों के उत्थान के लिए हिम ऊर्जा के माध्यम से सौर ऊर्जा से बिजली पहुंचाने का निर्णय लिया है। साधारणत: 250 वाट के इन सौर ऊर्जा प्लांटों से 9 वाट की 4 से 5 एल.ई.डी.टयूब लाईटें 5 घण्टे से अधिक जलती हैं तथा 40 वाट का एल.ई.डी. टेलीविजन भी 4 घण्टे चलता है व मोबाइल भी चार्ज हो जाता है।

इन ऑफ ग्रिड सोलर प्लांट की मरम्मत व रख-रखाव के लिए सम्बन्धित कम्पनियों द्वारा दो सर्विस सेंटर खोले गए हैं व स्थानीय निवासियों को भी प्रशिक्षित किया गया है।

पांगी क्षेत्र के लिए सरकार ने पिछले वर्ष के बजट में 3.83 करोड़ रुपये का प्रावधान करके 1,000 गरीबी की रेखा से नीचे रहने वाले परिवारों के घरों को 250 वाट के प्रति घर ऑफ ग्रिड सोलर पावर प्लांट उपलब्ध करवाए हैं। शेष बी.पी.एल. परिवारों को ये संयंत्र इस वित्तीय वर्ष के दौरान प्रदान किए जा रहे हैं, जिसका शुभारम्भ मुख्यमंत्री जय राम ठाकुर ने गत दिनों पांगी में अपने प्रवास के दौरान 6 बी.पी.एल परिवारों को 250 वाट के ऑफ ग्रिड सोलर पावर प्लांट वितरित करके किया। इन सभी पावर प्लांटों की स्थापना का कार्य नवम्बर, 2021 तक पूरा कर दिया जाएगा।

इस वर्ष 2021 के अन्त तक पांगी घाटी के 2162 बीपीएल परिवारों के पास एक 250 वॉट ऑफ ग्रीड सोलर प्लांट नि:शुल्क उपलब्ध करवाने का लक्ष्य रखा गया है।

प्रदेश सरकार बी.पी.एल. परिवारों के अतिरिक्त जो अन्य परिवार हैं, उन्हें भी यह सुविधा प्रदान करने हेतु प्रयासरत है।

भारतीय अर्थव्यवस्था और पर्यावरण के सन्दर्भ में वाहन स्क्रैप नीति का क्या अभिप्राय है

– अमिताभ कांत –

जो कार हम चलाते हैं, वह हमारे बारे में बहुत कुछ बताती है। नए युग के नागरिक जलवायु के प्रति बहुत जागरूक हैं। जब आप अपने वाहन को स्टार्ट करते हैं, तो क्या आप पृथ्वी को एक स्थायी हरित भविष्य की ओर ले जा रहे हैं और क्या साथी यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित कर रहे हैं? भूमंडल – ताप वृद्धि (ग्लोबल वार्मिंग) के तेजी से बढ़ते स्तर ने हमें गंभीरता से सोचने पर मजबूर किया है। पूरी दुनिया व्यापक स्तर पर जलवायु संकट के कगार पर है। जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र अंतर – सरकारी पैनल (आईपीसीसी) ने कहा है, 'मानव हस्तक्षेप से, जलवायु उस तेजी से गर्म हो रही है, जिसे कम से कम पिछले 2000 वर्षों के अभूतपूर्व कहा जा सकता है।'' अभी जब मैं यह लिख रहा हूं, कैलिफोर्निया ऐतिहासिक सूखे की चपेट में है, जंगल की आग ने यूनान को तबाह कर दिया है और बाढ़ ने चीन और अपने देश में राजस्थान, यूपी, एमपी, महाराष्ट्र और पश्चिम बंगाल के कुछ हिस्सों को पानी से भर दिया है। वैश्विक समुदाय इस भयानक संकट को चिंतित होकर देख रहा है। भारत, अत्यंत उच्च जोखिम वाले देशों में एक है। भारत में दुनिया के 30 सबसे प्रदूषित शहरों में से 22 मौजूद हैं (देश में वाहन – प्रदूषण कुल कार्बन उत्सर्जन के लगभग 30 प्रतिशत के लिए जिम्मेदार है, जो भारत को दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा कार्बन – उत्सर्जक बना देता है। भारत में पुराने और अनुपयुक्त वाहन, वायु प्रदूषण की आपात स्थिति के लिए प्रमुख रूप से जिम्मेदार हैं, जिनमें उत्सर्जन – स्तर नए वाहनों की तुलना में लगभग 6 – 7 गुना अधिक होता है।

भारत में वित्त वर्ष 2020 में लगभग 2.1 करोड़ वाहनों की बिक्री हुई है और पिछले दो दशकों में ऑटोमोबाइल क्षेत्र की वृद्धि दर 9.4 प्रतिशत रही है। वर्त्तमान में, भारत में लगभग 33 करोड़ वाहन पंजीकृत हैं। इसलिए, यह अनिवार्य रूप से कहा जा सकता है कि 1950 के दशक में पंजीकृत वाहन अभी भी सड़क परिवहन प्राधिकरण में 'पंजीकृत' हो सकता है। कुल वाहनों की संख्या में दुपहिया वाहनों का सबसे बड़ा हिस्सा है, जो लगभग 75 प्रतिशत है, इसके बाद कार/जीप/टैक्सी का दूसरा सबसे बड़ा खंड लगभग 13 प्रतिशत है। वाहन स्क्रैप नीति, किसी भी वाहन का पंजीकरण रद्द करने के लिए अपनी तरह की पहली संस्थागत व्यवस्था है।

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के वाहन डेटाबेस के अनुसार, लगभग एक करोड़ से अधिक वाहन ऐसे हैं, जिनके पास वैध फिटनेस या पंजीकरण प्रमाण पत्र नहीं है। वाहन स्क्रैप नीति में 'वाहनों की जीवन समाप्ति' के लिए एक तंत्र बनाने की परिकल्पना की गई है। ये ऐसे वाहन हैं, जो अब सड़कों पर चलने के लिए उपयुक्त नहीं हैं और इनमें प्रदूषण उत्सर्जन, ईंधन की निम्न दक्षता और यात्रियों के लिए सुरक्षा – जोखिम जैसे नकारात्मक पहलू हैं। ये 'जीवन समाप्त' वाले वाहन, स्क्रैप के लिए सबसे उपयुक्त हैं। इसके अलावा, अनुमान है कि लगभग 13 – 17 करोड़ वाहन अगले 10 वर्षों में अपने जीवन समाप्ति के स्तर पर पहुंच जाएंगे।

प्रधानमंत्री ने जोर देकर कहा है कि चक्रीय अर्थव्यवस्था हमारी धरती के पर्यावरण को हुए नुकसान को दूर करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम होने जा रही है। केंद्र सरकार ने परिणाम पर आधारित एक चक्रीय अर्थव्यवस्था की अवधारणा को अपनाया है, ताकि संसाधन दक्षता को अधिकतम किया जा सके तथा शून्य अपशिष्ट एवं उत्पादन और खपत के स्थायी पैटर्न को बढ़ावा दिया जा सके। 'वाहनों की जीवन समाप्ति' (ईएलवी) के स्क्रैप से न केवल लौह और अलौह धातुएं बल्कि प्लास्टिक, कांच, रबर, कपड़ा आदि अन्य सामग्री भी मिल सकती हैं, जिनका पुनर्चक्रण किया जा सकता है या जिनके खुरचन अथवा रद्दी को ऊर्जा – प्राप्ति के लिए ईंधन के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है। ईएलवी – पुनर्चक्रण, अक्षय संसाधनों के उपयोग के साथ – साथ अपशिष्ट की मात्रा को कम करने की दिशा में एक बदलाव लाएगा।

2008 – 09 में वैश्विक आर्थिक मंदी के दौरान, पुराने वाहनों के बदले नये वाहन खरीदने के लिए नकद प्रोत्साहन (कैश फॉर क्लंकर्स) और कार भत्ता छूट प्रणाली (सीएआरएस) अमेरिकी संघीय सरकार की इसी तरह की पहल थी। पुराने और ईंधन – अक्षम वाहन के मालिक को वित्तीय प्रोत्साहन दिए जाते हैं, ताकि वे अपने पुराने वाहन बेच सकें व नए और अधिक ईंधन कुशल विकल्पों को अपना सकें। यूरोपीय संघ हर साल लगभग 9 मिलियन टन ईएलवी उत्पन्न करता है। मुख्य रूप से ईएलवी के प्रबंधन – समाधान की जिम्मेदारी उन लोगों को दी जाती है, जो इसे उत्पन्न करते हैं। इसी तरह, जापान में ईएलवी के प्रबंधन – समाधान को एक बड़ी चुनौती के रूप में पहचान की गयी है, जहां सालाना लगभग 5 मिलियन वाहन ईएलवी वाहन की श्रेणी में आ जाते हैं। कई विकसित देशों ने भविष्य के ऑटोमोबाइल निर्माण में, एक संसाधन के रूप में ईएलवी के अधिकतम उपयोग को सुनिश्चित करने के लिए चक्रीय अर्थव्यवस्था के सिद्धांतों को अपनाया है। भारत सरकार की वाहन स्क्रैप नीति इन वैश्विक सर्वोत्तम प्रथाओं के अनुरूप है।

दिल्ली में मायापुरी, मुंबई में कुर्ला, चेन्नई में पुधुपेट्टई, कोलकाता में मल्लिक बाज़ार, विजयवाड़ा में जवाहर ऑटो नगर, गुंटूर में ऑटो नगर – भारत भर के शहरी क्षेत्रों में कबाड़ हो चुके वाहनों के विशाल इकोसिस्टम (व्हीकल स्क्रैपिंग इकोसिस्टम) के उदाहरण हैं। इस समय भारत में स्क्रैप वाहनों के लिए एक अनौपचारिक और असंगठित बाजार चल रहा है और इस असंगठित क्षेत्र की मूल्य श्रृंखला अत्यधिक बिखरी हुई, अत्यधिक श्रम साध्य और पर्यावरण प्रतिकूल है। इसके अलावा, चूंकि अनौपचारिक क्षेत्र बेकार हो चुके वाहनों को तोड़ने अथवा काटने के साथ ही उन्हें फिर से उपयोग में लाने (पुनर्चक्रित करन) के लिए पुराने तरीकों का उपयोग करता है, इसलिए इस प्रक्रिया में उच्च शक्ति वाली इस्पात (स्टील) युक्त मिश्र धातुओं और अन्य मूल्यवान धातुओं के वास्तविक मूल्य और उनके फिर प्रयोग की क्षमता के बारे यह काम करने वालों को जानकारी ही नहीं होती है। बेकार हो चुके इन वाहनों के पुनर्चक्रण के इस अनौपचारिक और असंगठित क्षेत्र में मुख्य रूप से व्यापारी, कबाड़ काटने वाले, कबाड़ विक्रेता (स्क्रैप डीलर) और पुनर्चक्रणकर्ता शामिल हैं। केंद्र सरकार की नई वाहन स्क्रैप नीति इस असंगठित बाजार को आमूलचूल बदल देगी और कई अनौपचारिक क्षेत्रों के श्रमिकों को औपचारिक क्षेत्र के दायरे में ले आएगी।

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय द्वारा इन कबाड़खानों (स्क्रैपयार्ड) के मौजूदा क्रियाकलापों का मूल्यांकन और इनकी समझ हेतु किए गए एक अध्ययन में यह पाया गया है कि इस क्षेत्र में वाहनों की देखरेख और मरम्मत की दुकानों का बोलबाला है। यहां वाहन मुख्य रूप से दलालों, पुरानी कारों की खरीद – बिक्री करने वालों (डीलरों), निजी बस/टैक्सी ऑपरेटर संघों या मैकेनिक की दुकानों से प्राप्त किए जाते हैं। यहां तक कि अक्सर चोरी किए गए वाहनों को भी यहां काटकर नष्ट कर दिया जाता है। दलाल आमतौर पर वाहनों को वित्त कंपनियों, बीमा कंपनियों और पुलिस विभागों द्वारा की गई नीलामी से प्राप्त करते हैं। वाहनों को खोलने के लिए काटना, एक विशुद्ध रूप से कारीगरों द्वारा की जाने वाली (मैनुअल) प्रक्रिया है, जिसमें लगभग 3 – 4 लोग काम करते हैं और जिसमें पुर्जों को खोलने के लिए किसी विशेष मशीनरी का उपयोग नहीं किया जाता है।

सरकार की वाहन स्क्रैप नीति ऐसे स्वचालित फिटनेस परीक्षण केंद्र स्थापित करने की दिशा में निवेश बढ़ाने की इच्छा रखती है जो वाहनों की 'सड़क पर चलने की उपयुक्तता' की जांच करने वाली अत्याधुनिक सुविधाएं होंगी। इन केन्द्रों को राज्य सरकारों, निजी क्षेत्र की फर्मों, वाहन (ऑटोमोबाइल) निर्माताओं और अन्य सम्बद्ध पक्षों द्वारा सार्वजनिक – निजी भागीदारी मॉडल पर स्थापित किया जाएगा। निस्संदेह, इससे रोजगार के बड़े अवसर पैदा होंगे। साथ ही, देश भर में कबाड़ निपटान केंद्र (स्क्रैपिंग सेंटर) स्थापित करने के लिए बड़े निवेश की भी आवश्यकता होगी। इससे भी मूल्य श्रृंखला में रोजगार के अवसर पैदा होंगे।

वाहनों को अनुपयोगी घोषित करने (स्क्रैपेज) की नीति का उद्देश्य पुराने वाहनों के मालिकों (जो 15 वर्ष से अधिक पुराने हैं) को उनके वाहनों के पंजीकरणों को निर्बाध रूप से रद्द किए गए जाने के लिए प्रोत्साहित करना और उन्हें ऐसे केन्द्रों में उन अनुपयोगी वाहनों को जमा किए जाने का प्रमाण पत्र प्रदान करना है। इस प्रमाणपत्र का उपयोग नए वाहन खरीदने के लिए किया जा सकता है और ऐसे प्रमाणपत्र धारी ग्राहक को पंजीकरण शुल्क की पूरी छूट मिलेगी। इसके साथ ही सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने निजी वाहनों के लिए सड़क कर (रोड टैक्स) पर 25% तक और वाणिज्यिक (कमर्शियल) वाहनों के लिए 15% तक की छूट के लिए मसौदा अधिसूचना को जारी किया है।

सोसाइटी ऑफ इंडियन ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स (एसआईएएम – सियाम) जैसे उद्योग संगठन भी इस पहल का समर्थन करने के लिए आगे आए हैं। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने एसआईएएम को कबाड़ घोषित (स्क्रैप) वाहनों के स्थान पर नए वाहनों की खरीद पर 5% छूट के लिए एक परामर्श (एडवाइजरी) जारी किया है। नई नीति में 15 वर्ष से अधिक पुराने निजी वाहनों के लिए पुन: पंजीकरण शुल्क बढ़ाने के साथ – साथ 15 वर्ष से अधिक पुराने वाणिज्यिक वाहनों के लिए फिटनेस प्रमाणन शुल्क बढ़ाने का भी प्रावधान किया गया है। राज्यों को प्रदूषण फैलाने वाले पुराने वाहनों पर 'हरित कर' लगाने की सलाह दी गई है। आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक, महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश ने इस दिशा में पहले ही कदम उठा लिए हैं।

इस नीति का उद्देश्य उपयोगकर्ता को आर्थिक लाभ पहुंचाना भी है। एक विश्लेषण के अनुसार निजी कार उपयोगकर्ताओं और ट्रक उपयोगकर्ताओं को अगले 5 वर्षों की अवधि में क्रमश: 8 लाख रूपये और 20 लाख रूपये तक का विशुद्ध आर्थिक लाभ मिलना निश्चित है। व्यापक आर्थिक स्तर पर, यह नीति नए वाहनों की मांग पैदा करने के मामले में बहुत सीमा तक बाजी पलटने वाली सिद्ध होगी। कोविड महामारी के बाद की स्थितियों में वाहनों (ऑटोमोबाइल) की बिक्री में 14% की गिरावट आई है। यह नीति पुराने वाहनों को हटाने के माध्यम से विनिर्माण को बढ़ावा देगी और उपयोगकर्ताओं के लिए नए वाहनों (ऑटोमोबाइल) की मांग पैदा करेगी, जिससे आने वाले वर्षों में इस उद्योग के वार्षिक कारोबार में 30% की वृद्धि होगी।

अनुपयोगी हो रहे पुराने वाहन को नए से बदलने की प्रक्रिया के माध्यम से ही हम भारतीय आवागमन में नए युग की शुरुआत कर सकते हैं। फिर एक ऐसा भविष्य होगा, जो जलवायु के प्रति जागरूक होने के साथ ही, सड़क पर पैदल चलने वालों और वाहन यात्रियों के अनुकूल होने के साथ – साथ तकनीकी रूप से भी सक्षम होगा। केंद्र सरकार की वाहन स्क्रैप नीति कहें या वाहनों का स्वैच्छिक आधुनिकीकरण कार्यक्रम, अब सीधी रेखा में चलने के स्थान पर चक्रीय अर्थव्यवस्था में परिवर्तित होने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम सिद्ध होने जा रहा है। यह भारत के शहरों में वायु प्रदूषण के खतरों को कम से कम करने के साथ – साथ अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देगा तथा वाहन क्षेत्र का आधुनिकीकरण करने के अलावा ईंधन की मांग को भी बढ़ाएगा। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि यह नीति वास्तव में भारतीय सड़कों को आने वाली कई पीढ़ियों के नागरिकों के लिए एक सुरक्षित स्थान बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम सिद्ध होगी।

औचित्य खोते वैश्विक संगठन

– डॉ. नीलम महेंद्र –

दृश्य 1: सुरक्षित स्थान की तलाश में अपने ही देश से पलायन करने के लिए एयरपोर्ट के बाहर हज़ारों महिलाएं, बच्चे और बुज़ुर्गों की भीड़ लगी है। कई दिन और रात वो भूखे प्यासे वहीं डटें हैं इस उम्मीद में कि किसी विमान में सवार हो कर वो अपना और अपने परिवार का भविष्य सुरक्षित करने में कामयाब हो जाएंगे। बाहर तालिबान है, भीतर नाटो की फौजें। हर बीतती घड़ी के साथ उनकी उम्मीद की डोर टूटती जा रही है। ऐसे में महिलाऐं अपनी छोटे छोटे बच्चों की जिंदगी को सुरक्षित करने के लिए उन्हें नाटो फ़ौज के सैनिकों के पास फेंक रही हैं। इस दौरान कई बच्चे कँटीली तारों पर गिरकर घायल हो जाते हैं।

दृश्य 2: इस प्रकार की खबरें और वीडियो सामने आते हैं जिसमें अफगानिस्तान में छोटी छोटी बच्चियों को तालिबान घरों से उठाकर ले जा रहा है।

दृश्य 3: अमरीकी विमान टेक ऑफ के लिए आगे बढ़ रहा है और लोगों का हुजूम रनवे पर विमान के साथ साथ दौड़ रहा है। अपने देश को छोड़कर सुरक्षित स्थान पर जाने के लिए कुछ लोग विमान के टायरों के ऊपर बनी जगह पर सवार हो जाते हैं। विमान के ऊंचाई पर पहुंचते ही इनका संतुलन बिगड़ जाता है और आसमान से गिरकर इनकी मौत हो जाती है। इनके शव मकानों की छत पर मिलते हैं।

दृश्य 4: एक जर्मन पत्रकार की खोज में तालिबान घर घर की तलाशी ले रहा है, जब वो पत्रकार नहीं मिलता तो उसके एक रिश्तेदार की हत्या कर देता है और दूसरे को घायल कर देता है।

ऐसे न जाने कितने हृदयविदारक दृश्य पिछले कुछ दिनों दुनिया के सामने आए। क्या एक ऐसा समाज जो स्वयं को विकसित और सभ्य कहता हो उसमें ऐसी तस्वीरें स्वीकार्य हैं? क्या ऐसी तस्वीरें महिला और बाल कल्याण से लेकर मानवाधिकारों की सुरक्षा के लिए बने तथाकथित अंतरराष्ट्रीय संगठनों के औचित्य पर प्रश्न नहीं लगाती?

क्या ऐसी तस्वीरें अमरीका और यूके समेत 30 यूरोपीय देशों के नाटो जैसे तथाकथित वैश्विक सैन्य संगठन की शक्ति का मजाक नहीं उड़ातीं?

इसे क्या कहा जाए कि विश्व की महाशक्ति अमेरिका की सेनाएँ 20 साल तक अफगानिस्तान में रहती हैं, अफगान सिक्युरिटी फोर्सेज पर तकरीबन 83 बिलियन डॉलर खर्च करती है उन्हें ट्रेनिगं ही नहीं हथियार भी देती हैं और अंत में साढ़े तीन हज़ार सैनिकों वाली अफगान फौज 80 हज़ार तालिबान लड़ाकों के सामने बिना लड़े आत्मसमर्पण कर देती है। वहां के राष्ट्रपति एक दिन पहले तक अपने देश के नागरिकों को भरोसा दिलाते हैं कि वो देश तालिबान के कब्जे में नहीं जाने देंगे और रात को देश छोड़कर भाग जाते हैं।

तालिबान सिर्फ अफगानिस्तान की सत्ता पर ही काबिज़ नहीं होता बल्कि आधुनिक अमरीकी हथियार, गोला बारूद, हेलीकॉप्टर और लड़ाकू विमानों से लेकर दूसरे सैन्य उपकरण भी तालिबान के कब्जे में आ जाते हैं।

अमरीकी सेनाओं के पूर्ण रूप से अफगानिस्तान छोड़ने से पहले ही यह सब हो जाता है वो भी बिना किसी संघर्ष के। ऐसा नहीं है कि सत्ता संघर्ष की ऐसी घटना पहली बार हुई हो। विश्व का इतिहास सत्ता पलट की घटनाओं से भरा पड़ा है। लेकिन मानव सभ्यता के इतने विकास के बाद भी इस प्रकार की घटनाओं का होना एक बार फिर साबित करता है कि राजनीति कितनी निर्मम और क्रूर होती है।

अफगानिस्तान का भारत का पड़ोसी देश होने से भारत पर भी निश्चित ही इन घटनाओं का प्रभाव होगा। दरअसल भारत ने भी दोनों देशों के सम्बंध बेहतर करने के उद्देश्य से अफगानिस्तान में काफी निवेश किया है। अनेक प्रोजेक्ट भारत के सहयोग से अफगानिस्तान में चल रहे थे। सड़कों के निर्माण से लेकर डैम, स्कूल, लाइब्रेरी यहाँ तक कि वहाँ की संसद बनाने में भी भारत का योगदान है। 2015 में ही भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वहाँ के संसद भवन का उद्घाटन किया था जिसके निर्माण में अनुमानत: 90 मिलियन डॉलर का खर्च आया था।

लेकिन आज अफगानिस्तान की सत्ता पर तालिबान काबिज़ है जो एक ऐसा आतंकवादी संगठन है जिसे पाकिस्तान और चीन का समर्थन हासिल है।

भारत इस चुनौती से निपटने में सैन्य से लेकर कूटनीतिक तौर पर सक्षम है। पिछले कुछ वर्षों में वो अपनी सैन्य शक्ति और कूटनीति का प्रदर्शन सर्जिकल स्ट्राइक और आतंकवाद समेत धारा 370 हटाने जैसे अनेक अवसरों पर कर चुका है लेकिन असली चुनौती तो संयुक्त राष्ट्र संघ, संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद, यूनिसेफ, जैसे वैश्विक संगठनों के सामने उत्पन्न हो गई है जो मानवता की रक्षा करने के नाम पर बनाई गई थीं। लेकिन अफगानिस्तान की घटनाओं ने इनके औचित्य पर ही प्रश्न खड़े कर दिए हैं।

दरअसल राजनीति अपनी जगह है और मानवता की रक्षा अपनी जगह। क्या यह इतना सरल है कि स्वयं को विश्व की महाशक्ति कहने वाले अमरीका की फौजों के रहते हुए वो पूरा देश ही उस आतंकवादी संगठन के कब्जे में चला जाता है जिस देश में वो उस आतंकवादी संगठन को खत्म करने के लिए 20 सालों से काम कर रहा हो? अगर हाँ, तो यह अमेरिका के लिए चेतावनी है और अगर नहीं तो यह राजनीति का सबसे कुत्सित रूप है। एक तरफ़ विश्व की महाशक्तियां इस समय अफगानिस्तान में अपने स्वार्थ की राजनीति और कूटनीति कर रही हैं तो दूसरी तरफ ये संगठन जो ऐसी विकट परिस्थितियों में मानवीय मूल्यों एवं संवेदनाओं की रक्षा करने के उद्देश्य से आस्तित्व में आईं थी। वो अफगानिस्तान के इन मौजूदा हालात में निरर्थक प्रतीत हो रही हैं।

घर खरीददारों को समयबद्ध राहत प्रदान करने में हिमाचल प्रदेश रेरा की भूमिका सराहनीय

शिमला/शैल। रियल एस्टेट क्षेत्र को विनियमित करने और बढ़ावा देने के उद्देश्य से गठित हिमाचल प्रदेश रियल एस्टेट नियामक प्राधिकरण (रेरा) अपनी स्थापना के डेढ़ वर्षो के भीतर निष्पादन याचिकाओं का निपटान करने में देश के सभी रियल एस्टेट नियामक प्राधिकरणों में दूसरे स्थान पर है। पिछले डेढ़ वर्षो से कोविड महामारी के संकट काल के बावजूद प्राधिकरण पूर्णत: कार्यशील है। प्राधिकरण द्वारा मामलों का त्वरित निष्पादन सुनिश्चित करने के लिए आधुनिक सूचना प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल किया जा रहा है।

प्राधिकरण ने ऑनलाइन सुनवाई करके बड़ी संख्या में मामलों के निर्णय लिए हैं। इससे पक्षकारों को सुनवाई के लिए व्यक्तिगत रूप से प्राधिकरण कार्यालय में नहीं आना पड़ता है। शिकायतों की सुनवाई वेबैक्स के माध्यम से की जा रही है। अब तक वेबैक्स के माध्यम से 260 से अधिक सुनवाई की जा चुकी हैं, जिससे हितधारकों के लिए कोविड महामारी के दौरान अपने घर या कार्यालय से मामलों को आगे बढ़ाना आसान हो गया है। इन मामलों में आवास आवंटियों को 6 करोड़ 55 लाख रुपये वापिस करने के आदेश दिए गए हैं। इस राशि में से लगभग 76 लाख रुपये की राशि प्रमोटरों एवं बिल्डरों से पहले ही वसूल कर आवंटियों के बैंक खातों में जमा कर दी गई है।

हिमाचल प्रदेश रियल एस्टेट नियामक प्राधिकरण द्वारा भूखण्डों, अपार्टमेंट या भवनों की बिक्री के मामलों में घर के खरीददार के हितों के संरक्षण के लिए कुशल एवं पारदर्शी तरीके से कार्य किया जाता है। बहुत ही कम समयावधि के दौरान 38 नई रियल एस्टेट परियोजनाओं और 52 एजेंटों को प्राधिकरण के साथ पंजीकृत किया गया है। इसके साथ-साथ प्राधिकरण ने पक्षों के बीच शिकायतों के मामलों को सौहार्दपूर्ण तरीके से निपटाने के लिए महत्वाकांक्षी पहल की है। इसके परिणामस्वरूप आवंटियों को 52 लाख रुपये वापिस कर दिए गए हैं। रियल एस्टेट (विनियमन और विकास) अधिनियम, 2016 के प्रावधानों के उल्लघंन के लिए बिल्डरों एवं प्रमोटरों पर रिफंड के अलावा 2 करोड़ 27 लाख रुपये से अधिक का जुर्माना भी लगाया गया। अभी तक आवंटियों द्वारा 14 निष्पादन याचिकाएं दायर की गई हैं और 9 निष्पादन याचिकाएं स्वत: संज्ञान से दर्ज की गई हैं। बिल्डरों और प्रमोटरों से कुल 35 लाख रुपये का जुर्माना भी वसूल किया गया।

प्राधिकरण ने विनियमन संख्या 2,4 और 5 त्रैमासिक प्रगति रिपोर्ट और वार्षिक प्रगति रिपोर्ट ऑनलाइन दाखिल करने के लिए तैयार की हैं। ये त्रैमासिक प्रगति रिपोर्ट हिमाचल प्रदेश रियल एस्टेट नियामक प्राधिकरण के वेब पोर्टल (सार्वजनिक डोमेन) पर उपलब्ध हैं, इससे विभिन्न हितधारकों के मध्य पारदर्शिता सुनिश्चित होती है। आवंटी, घर खरीददार इन त्रैमासिक प्रगति रिपोर्ट के माध्यम से भूखण्डों (प्लाटों), घरों और अपार्टमेंट के निर्माण एवं विकास कार्य की प्रगति स्वत: आसानी से देख सकते हैं। वेबएक्स बैठकों के माध्यम से प्रवर्तकों को त्रैमासिक प्रगति रिपोर्ट व वार्षिक प्रगति रिपोर्ट भरने के लिए जागरूक किया जा रहा है।

रियल एस्टेट नियामक प्राधिकरण की नई वेबसाइट एनआईसी के माध्यम से विकास की प्रक्रिया में है। इसमें हिमाचल प्रदेश में सभी एस्टेट परियोजनाओं और एजेंटों के ऑनलाइन पंजीकरण, शिकायत दर्ज करने, त्रैमासिक प्रगति रिपोर्ट व वार्षिक प्रगति रिपोर्ट और पूर्व पंजीकरण सुविधाओं के लिए चार मॉडयूल की सुविधा होगी। यह सभी हितधारकों यानी प्रमोटरों, एजेंटों और आवंटियों की मदद करने के लिए एक सरल पारदर्शी और उपभोक्ता केंद्रित वेबसाइट होगी।

वैबसाइट में पूर्व पंजीकरण की सुविधा का प्रावधान भी किया जाएगा। यह सुविधा प्राप्त होने से प्रमोटरों व बिल्डरों को विभिन्न विभागों से आवश्यक अनुमोदन शीघ्र प्राप्त करने में मदद मिलेगी और हिमाचल प्रदेश रेरा इसकी नियमित रूप से निगरानी एवं समय-समय पर अद्यतन (अपडेट) करने के साथ-साथ सम्बन्धित विभागों से समन्वय स्थापित कर वांछित अनुमोदन शीघ्र प्रदान करवाने में सहयोग भी करेगा।

रियल एस्टेट नियामक प्राधिकरण न केवल उपभोक्ताओं के अधिकारों का संरक्षण, बल्कि रियल एस्टेट को विनियमित कर पारदर्शी कार्य प्रणाली भी सुनिश्चित कर रहा है।

3000 स्ट्रीट वेंडर्स को प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के अन्तर्गत मिला 3 करोड़ का ऋण

शिमला/शैल। शहरी विकास मंत्री सुरेश भारद्वाज ने कहा कि प्रदेश में प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के तहत 3000 से अधिक लाभार्थियों को 3 करोड़ रुपये का गारंटी मुक्त ऋण दिया गया है। उन्होंने कहा कि अब पार्षदों की मदद से स्ट्रीट वेंडर्स तक इस योजना को पहुंचाया जाएगा।

शहरी विकास मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा स्ट्रीट वेंडर्स के कल्याण के लिए योजना शुरू की गई थी। इस योजना के तहत हिमाचल प्रदेश में 3000 से अधिक स्ट्रीट वेंडर्स को ऋण मिल चुका है। उन्होंने कहा कि यह योजना स्ट्रीट वेंडर्स के लिए बहुत सहायक सिद्ध हुई है।

उन्होंने कहा की कोरोना महामारी से बचने के लिए देश भर में लॉकडाउन जैसा कठोर कदम उठाना पड़ा, जिसके फलस्वरूप भारत में कोरोना का प्रभाव कई विकसित राष्ट्रों से कम रहा, लेकिन लॉकडाउन के कारण छोटे व्यापारियों खासकर स्ट्रीट वेंडर्स को कुछ नुकसान नहीं हुआ। सुरेश भारद्वाज ने कहा वर्तमान में प्रदेश में 5790 स्ट्रीट वेंडर्स हैं, जिन्हें पहचान पत्र जारी हो चुके हैं। उन्होंने कहा कि सरकार का प्रयास रहेगा कि सभी जरूरतमंद स्ट्रीट वेंडर्स को इस योजना का लाभ मिल सके। उन्होंने योजना के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए सभी शहरी निकायों के पार्षदों व अधिकारियों को विशेष प्रयास करने के निर्देश दिए हैं।

उन्होंने कहा कि शीघ्र ही सभी पार्षद अपने-अपने वार्डो में चिन्हित स्ट्रीट वेंडर्स से संपर्क कर, इस योजना के बारे में जानकारी प्रदान करेंगे और यदि कोई इस योजना का लाभ प्राप्त करना चाहता है, तो उसकी हर सम्भव सहायता करेंगे। उन्होंने शहरी विकास विभाग व शहरी निकायों के अधिकारियों को निर्देश दिए कि बैंकों से समय-समय पर इस योजना के बारे में संवाद स्थापित करें, जिससे कोई भी प्रार्थना-पत्र अधिक समय तक लंबित न रहे। शहरी विकास मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के तहत 10 हजार रुपये तक का कोलेटरल फ्री लोन दिया जाता है, जिसका इस्तेमाल स्ट्रीट वेंडर्स अपनी पूंजी के तौर पर कर सकते हैं। इस योजना से भारत के 50 लाख वेंडर्स लाभान्वित होंगे, जो लॉकडाउन के कारण बुरी तरह से प्रभावित हुए थे। इस योजना के तहत एक वर्ष के लिए 10,000 रुपये का लोन दिया जाता है। इस लोन के उपयोग से वेंडर्स को अपना व्यवसाय दोबारा आरम्भ करने में मदद मिलेगी। इस लोन पर आवेदक को किसी तरह की गारंटी नहीं देनी होगी, वहीं लोन का पैसा समय पर जमा करने पर 7 फीसदी तक की ब्याज उपदान मिलता है।

उन्होंने बताया कि पीएम स्वनिधि योजना के तहत लोन लेने के इच्छुक स्ट्रीट वेंडर्स सीधे पीएम स्वनिधि योजना की वेबसाइट https://pmsvanidhi.mohua.gov.in पर आवेदन कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त स्ट्रीट वेंडर्स शहरी निकाय के कार्यालय में भी आवेदन कर सकते हैं।

मुफ्त लैपटॉप का लालच देकर साईबर अपराधी आम लोगों को बना रहे बेवकूफ

शिमला/शैल। कोरोना काल में साइबर फ्रॉड के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। महामारी के कारण ज्यादातर लोग घर से काम कर रहे हैं तो वहीं बच्चों की पढाई भी ऑनलाइन चल रही है। इसी वजह से जालसाज गलत जानकारी देकर लोगों को बेवकूफ बना रहे हैं। एक ताज़ा मामला सामने आया है जिसमें जालसाज SMS, WhatsApp पर एक मैसेज वायरल कर रहे हैं। इस मेसेज में दावा किया जा रहा है कि सरकार ऑनलाइन पढ़ाई के लिए छात्रों को फ्री में लैपटॉप, टेबलेट और स्मार्टफोन दे रही है। वर्तमान समय में यह सन्देश इस प्रकार से आम जनता को प्राप्त हो रहे हैं: -"Govt is giving free Laptop to all the students of India. Register your number on PM-Laptop app to get free laptop. App link: http://tiny.cc/Govtlaptop", ऐसे किसी फ़र्ज़ी लिंक या वेबसाइट पर निजी जानकारी सांझा न करें। इस मैसेज के साथ एक लिंक भी दिया है। जिसमें इस सुविधा का लाभ उठाने के लिए आवेदन करता को अपनी निजी डिटेल भरने के लिए कहा जा रहा है। ऐसे में यदि आप इस लिंक पर अपनी निजी डिटेल भरते हैं तो आप साइबर फ्रॉड का शिकार हो सकते है।

वॉट्सऐप पर वायरल हुए इस मैसेज में साइबर ठगों ने लोगों से मैसेज को शेयर करने की अपील की है। जिसमें साइबर ठगों की ओर से कहा गया है कि 'इस मैसेज को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि जिन लोगों को लैपटॉप की आवश्यकता हो, वे इसे प्राप्त कर सकें और हमारे देश की साक्षरता दर में सुधार हो सके'। आपको बता दें इसी तरह के निवेदन से साइबर ठग ऐसे मैसेजों को वायरल कराते हैं। राज्य साईबर थाना शिमला द्वारा उपरोक्त मैसेज में दिए गए लिंक की जांच की गई तो पाया गया कि उपरोक्त लिंक के साथ सलंग्न की गई फाईल में malicious, android trojan agents als heur / warm malware virus और कई अन्य encrypted files मौजूद पाई गई है। मैसेज पूरी तरह से फर्जी है। इस तरह के फर्जी वायरल मैसेज पर विश्वास नहीं करें। इसके साथ ही अपनी निजी जानकारी मैसेज में दिए गए लिंक पर साझा न करें।

इस पर राज्य साईबर थाना शिमला द्वारा एडवाईज़री जारी की है। जिसमें बताया है कि उपरोक्त सन्देश व अन्य लिंक द्वारा भेजे गए malicious link से आप अपनी सुरक्षा कैसे कर सकते हैं और स्पैम टेक्स्ट संदेशों की कैसे पहचान और रिपोर्ट कर सकते हैं।

➪ ईमेल, सोशल मीडिया या एसएमएस के जरिए प्राप्त संदिग्ध लिंक पर क्लिक करने से बचें। भले ही किसी विश्वसनीय व्यक्ति से भेजा गया हो, हमेशा अपने ब्राउज़र में लिंक टाइप करें।

➪ अपने सामान्य ज्ञान का प्रयोग करें: क्या कोई वेबसाइट आपको अजीब लगती है? क्या यह संवेदनशील व्यक्तिगत जानकारी मांग रहा है? यदि यह असुरक्षित लगता है, तो जोखिम न लें।

➪ वैधता की पुष्टि करें:क्या वेबसाइट संपर्क जानकारी या वास्तविक दुनिया की उपस्थिति के कुछ संकेतों को सूचीबद्ध करती है। यदि संदेह है, तो उनकी वैधता स्थापित करने के लिए फोन या ईमेल द्वारा उनसे संपर्क करें।

➪ URL को ध्यान से पढ़ें: यदि यह एक ऐसी वेबसाइट है जिसका आप अक्सर उपयोग करते हैं, तो क्या URL की वर्तनी सही है? कई बार, फ़िशर उस साइट की वर्तनी के लगभग समान वेबसाइट सेट करते हैं, जिस पर आप जाने का प्रयास कर रहे हैं। एक आकस्मिक गलत टाइप आपको साइट के कपटपूर्ण संस्करण तक ले जा सकता है।

➪ यदि लिंक सही प्रतीत होता है तो अपने विवेक का उपयोग करें व अन्य उपयोगकर्ताओं की समीक्षाएं या चेतावनियां खोजने के लिए कुछ शोध करें।

➪ किसी भी लिंक के गुणों की जाँच करें। हाइपरलिंक पर राइट-क्लिक करने और 'गुण' का चयन करने से लिंक की वास्तविकता का पता चल जाएगा। क्या यह उस चीज़ से अलग दिखता है जिस पर उसने आपको ले जाने का दावा किया था?

उपरोक्त सन्देश व लिंक्स द्वारा भेजे गए प्रलोभन केवल साईबर अपराधियों द्वारा ठगी के उदेश्य से भेजना पाया गया है। किसी भी प्रकार के साईबर अपराध की सूचना तुरन्त नजदीकी पुलिस थाना व राज्य साईबर अपराध थाना शिमला में दें।

नौणी विवि में बागवानी, वानिकी, बायोटेक, व्यापार प्रबंधन के लिए प्रवेश प्रक्रिया शुरू

शिमला/शैल। डॉ. वाई एस परमार औद्यानिकी एवं वानिकी विश्वविद्यालय, नौणी में 2021-22 शैक्षणिक सत्र के लिए बागवानी, वानिकी, जैव प्रौद्योगिकी, कृषि व्यवसाय और व्यापार प्रबंधन कार्यक्रमों के लिए प्रवेश प्रक्रिया शुरू हो गई है। विश्वविद्यालय में स्नातक, स्नातकोत्तर और डॉक्टरेट कार्यक्रमों के लिए आवेदन करने के इच्छुक छात्र विश्वविद्यालय के एडमिशन पोर्टल पर अपना ऑनलाइन आवेदन जमा कर सकते हैं। आवेदन प्रक्रिया ऑनलाइन है और इच्छुक छात्र विश्वविद्यालय की वेबसाइट या प्रवेश पोर्टल https://www.yspuniversity.ac.in/yspuniversity/ पर लॉग इन करके आवेदन कर सकते हैं। प्रत्येक कार्यक्रम के लिए विस्तृत जानकारी विश्वविद्यालय की वेबसाइट से डाउनलोड की जा सकती है।

बीएससी (ऑनर्स) बागवानी, बीएससी (ऑनर्स) वानिकी और बी टेक जैव प्रौद्योगिकी जैसे स्नातक कार्यक्रमों (सामान्य और स्व-वित्तपोषित सीटों) के लिए आवेदन करने की अंतिम तिथि 20 सितंबर, 2021 है। एम एससी/ एमबीए (कृषि व्यवसाय)/ एमबीए और पीएचडी प्रोग्राम के लिए छात्र 25 सितंबर 2021 तक आवेदन कर लें।

इस वर्ष, विश्वविद्यालय भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (आईसीएआर) की प्रवेश परीक्षा के स्कोर के आधार पर अपने विभिन्न स्नातक, स्नातकोत्तर और डॉक्टरेट कार्यक्रम में एडमिशन देगा। यह परीक्षा राष्ट्रीय टेस्टिंग एजेंसी द्वारा आयोजित की जाएगी। विश्वविद्यालय के बीएससी (ऑनर्स) हॉर्टिकल्चर, बीएससी (ऑनर्स) फॉरेस्ट्री और बी टेक बायोटेक्नोलॉजी की सामान्य सीटों पर प्रवेश राष्ट्रीय टेस्टिंग एजेंसी द्वारा आयोजित ICAR/AIEEA (UG) 2021 में प्राप्त अंकों के आधार पर होगा। इसी तरह, स्नातकोत्तर कार्यक्रम-एमएससी/एमबीए (कृषि व्यवसाय) और पीएचडी में प्रवेश भी क्रमश: ICAR AIEEA (PG) और AICE/JRF/SRF में प्राप्त अंकों के आधार पर मिलेगा।

वह उम्मीदवार, जो विश्वविद्यालय की स्नातक कार्यक्रम की सेल्फ-फाइनेंसिंग सीटों और एमबीए (सामान्य) के लिए आवेदन करना चाहते हैं, उन्हें आईसीएआर परीक्षा नहीं देनी होगी। हालांकि, उन्हें विश्वविद्यालय के ऑनलाइन आवेदन पत्र को भरना होगा। स्नातक कार्यक्रम की सेल्फ-फाइनेंसिंग सीट पर प्रवेश, योग्यता परीक्षा की मेरिट के आधार पर मिलेगा। एमबीए (सामान्य) के लिए HP MAT परीक्षा की योग्यता के आधार पर प्रवेश मिलेगा, जिसके बाद विश्वविद्यालय में ग्रुप डिस्कशन और पर्सनल इंटरव्यू होगा। पीएचडी प्रबंधन में प्रवेश, योग्यता परीक्षा (एमबीए) की मेरिट के आधार पर होगा।

संबंधित आईसीएआर परीक्षाओं में भाग लेने के अलावा, उम्मीदवारों को विश्वविद्यालय की वेबसाइट www.yspuniversity.ac.in पर जाकर विश्वविद्यालय का ऑनलाइन आवेदन पत्र भरना अनिवार्य है। जो उम्मीदवार आईसीएआर प्रवेश परीक्षा में भाग नहीं लेता है या विश्वविद्यालय के ऑनलाइन आवेदन पत्र को जमा करने में विफल रहते हैं, वो एडमिशन के लिए पात्र नहीं होंगे। आईसीएआर परीक्षा परिणाम घोषित होने के बाद विश्वविद्यालय द्वारा वेबसाइट पर ऑनलाइन काउंसलिंग के कार्यक्रम की घोषणा की जाएगी। ऑनलाइन मोड के अलावा अन्य आवेदन पत्र स्वीकार नहीं किए जाएंगे।

पूर्वव्यापी कर को भारत में निवेश के माहौल को स्थिर बनाने के संदर्भ में देखा जाना चाहिए

– तरुण बजाज –

शिमला। कराधान विधि संशोधन विधेयक, 2021 करों से जुड़े कानून का एक परिवर्तनकारी पहलू है। यह न सिर्फ दायरे और सामग्री की दृष्टि से परिवर्तनकारी है, बल्कि उस चलन की दृष्टि से भी परिवर्तनकारी है जिसे इसने जन्म दिया है। भारत में करों से जुड़े हितधारक इस बात को लेकर सुरक्षित महसूस कर सकते हैं कि कराधान के मामले में निश्चितता और आसानी से अनुमान लगा सकने का आश्वासन अब महज बहस का मुद्दा बनने से आगे बढ़ चुका है। यह अपना वादा निभाने से जुड़ा मामला है। मुझे इससे पहले का ऐसा कोई उदाहरण याद नहीं आता, जब सरकार ने आयकर अधिनियम में पूर्व में किए गए संशोधन से उत्पन्न कर संबंधी बहुत बड़ी मांग को वापस लेने के लिए इतना साहसिक कदम उठाया हो। एक निष्पक्ष और आसानी से अनुमान लगायी जा सकने वाली कर व्यवस्था के प्रति सरकार की वचनबद्धता की इस विधेयक से बड़ी जोरदार घोषणा और कोई हो नहीं सकती थी।

अधिकांश पाठकों को यह याद होगा कि परिसंपत्तियों के अप्रत्यक्ष हस्तांतरण से पैदा होने वाली आय पर कराधान के मुद्दे का एक उतार-चढ़ाव भरा इतिहास रहा है और यह सबसे पहले वोडाफोन मामले में सामने आया जहां आयकर विभाग की बंबई उच्च न्यायालय में जीत हुई लेकिन माननीय सर्वोच्च न्यायालय में हार मिली। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि परिसंपत्तियों के अप्रत्यक्ष हस्तांतरण पर ऐसा कराधान आयकर अधिनियम के तत्कालीन प्रचलित प्रावधानों के तहत उचित नहीं था। इसके बाद मई, 2012 में, इस तथ्य को स्पष्ट करने के लिए आयकर अधिनियम में संशोधन किया गया कि आयकर अधिनियम के तहत इस तरह की आय हमेशा कर योग्य है। इस संशोधन को इस तरह के कराधान को पूर्वव्यापी बनाने पर तत्काल कड़ी आलोचना का सामना करना पड़ा, खासकर उस समय जब सर्वोच्च न्यायालय ने करदाताओं के पक्ष में फैसला सुनाया था।

इस किस्म के पूर्वव्यापी कराधान (रेट्रोस्पेक्टिव टैक्सेशन) के बारे में वर्तमान सरकार की नीति स्पष्ट रही है। इस नीति को तत्कालीन वित्त मंत्री स्वर्गीय अरुण जेटली ने स्पष्ट रूप से बयान किया था। उन्होंने 10 जुलाई 2014 को लोकसभा के पटल पर कहा था- कि यह सरकार आमतौर पर पूर्वव्यापी रूप से ऐसा कोई बदलाव नहीं लाएगी, जोकि एक नया बोझ पैदा करे। उसी के अनुरूप 2014 से सरकार ने आयकर अधिनियम में किसी भी ऐसे पूर्वव्यापी संशोधन से परहेज किया है, जिसकी परिकल्पना उस समय नहीं की गई थी जब करदाता द्वारा सही तरीके से लेनदेन किया जा रहा था।

2012 के प्रावधानों के पूर्वव्यापी पहलू के बारे में हस्तक्षेप करने से पहले सरकार यह चाहती थी कि इससे जुड़े विवाद तार्किक तरीके से हल हों। दो प्रमुख मध्यस्थता यानी वोडाफोन और केयर्न मामले में, भारत के खिलाफ क्रमशः सितंबर 2020 और दिसंबर 2020 में प्रतिकूल निर्णय सुनाए गए। एक अर्थ में, ऐसे निर्णयों की घोषणा इस प्रक्रिया की एक तार्किक परिणति थी। इसके अलावा, इन दोनों मामलों में इस तरह के आदेशों के तत्काल प्रभाव से कहीं ज्यादा इन आदेशों ने इस तरह के पूर्वव्यापी कराधान के बारे में निवेशकों के ज़ेहन में प्रतिकूल भावनाओं को मजबूत किया। तभी से, सरकार इस तरह के सभी पुराने विवादों को पीछे छोड़ने और विशेष रूप से इस मुद्दे पर और सामान्य रूप से कर नीति के बारे में निवेशकों के ज़ेहन में बैठी अनिश्चितता की भावना को दूर करने के लिए एक व्यापक समाधान पर काम कर रही है। कारगर रूप से मानसून सत्र इस तरह के समाधान को संसद में मंजूरी के लिए लाने का पहला अवसर था।

अगर हम समाधान की बात करें, तो सरकार शुरू से ही इस बारे में स्पष्ट थी कि ऐसा कोई भी समाधान भारतीय कानून के भीतर होना चाहिए। यह समाधान मध्यस्थता के निर्णयों को मान्यता देने वाला नहीं हो सकता क्योंकि सरकार का यह रुख रहा है कि कर विधायन/विवादों जैसे संप्रभु मामलों को मध्यस्थता के अधीन नहीं किया जा सकता। इस तरह के विवादों को देश के कानूनी ढांचे के भीतर सुलझाना होगा, न कि इसके बाहर। और यह समाधान व्यापक भी होना चाहिए ताकि यह इस किस्म के पूर्वव्यापी कराधान (रेट्रोस्पेक्टिव टैक्सेशन) से जुड़े सभी मामलों पर लागू हो, चाहे कोई विवाद मध्यस्थता या किसी अन्य वजहों से कहीं भी लंबित हो। कई आलोचकों ने इस संशोधन के समय को लेकर सवाल उठाया है। यह कहा गया है कि इस संशोधन को विभिन्न न्यायिक क्षेत्राधिकारों द्वारा दिए गए निर्णयों को लागू करने के लिए केयर्न द्वारा हाल की कार्रवाइयों की वजह से लाया गया है। इससे ज्यादा सच्चाई से परे और कोई भी बात नहीं हो सकती। इस किस्म की मध्यस्थता और प्रवर्तन की कार्यवाही से अच्छी तरह परिचित हर व्यक्ति यह जानता है कि इस तरह की कार्यवाही के वास्तविक भुगतान, यदि कुछ हो, में बदलने से पहले गंगा नदी में बहुत अधिक पानी बहने यानी बहुत कुछ करने की जरूरत पड़ती है। केयर्न और वोडाफोन मामले में निर्णय को आने में लगभग पांच साल लग गए। अब इन निर्णयों को चुनौती दी गई है और इससे जुड़े अपील कई स्तरों पर लंबित हैं। प्रवर्तन से जुड़ी कार्यवाही भी इसी किस्म की प्रक्रिया से गुजरेगी। इन सब में सालों लग जायेंगे।

इस संशोधन को सरकार की आर्थिक और कर नीति के व्यापक संदर्भ में भी देखने की जरूरत है। खासकर पिछले एक साल से अधिक समय में कोविड-19 के दौरान, सरकार ने आत्मानिर्भर पैकेज के तहत विदेशी निवेश सहित ज्यादा से ज्यादा निवेश आकर्षित करने के लिए कई पहल की हैं। विनिर्माण, बुनियादी ढांचे और वित्तीय क्षेत्रों में परिवर्तनकारी सुधार किए गए हैं। 2021 के बजट, जिसे चौतरफा प्रशंसा मिली, ने आर्थिक विकास को बढ़ावा देने और रोजगार पैदा करने के लिए निवेश को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से कई महत्वपूर्ण कदम उठाए। हम अब उस मोड़ पर हैं, जहां निवेश दूसरी जगहों से भागकर भारत आना चाहता है। यह संशोधन निवेश को आकर्षित करने की सरकार की इस किस्म की समग्र नीतिगत दिशा में पूरी तरह से फिट बैठता है।

इस संशोधन के जरिए सरकार इस आशय का एक व्यापक संदेश दे रही है कि भारत निवेश के लिए एक आकर्षक गंतव्य है। निवेशक इस बात को लेकर सुरक्षित और आश्वस्त महसूस कर सकते हैं कि निवेश का माहौल स्थिर रहेगा और सरकार अपने सभी वादों को पूरा करेगी।

आजादी का अमृत महोत्सव पर 'नए भारत का नया सफर'

शिमला। केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्रालय अपने 'आइकॉनिक वीक' समारोह के तहत 23 से 29 अगस्त, 2021 तक 'आजादी का अमृत महोत्सव' मनाने के लिए अनेक उत्कृष्ट कार्यकलापों की एक श्रृंखला शुरू करने के लिए पूरी तरह से तैयार है। केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर भव्य समारोह की शुरुआत करेंगे जिसमें 'जन भागीदारी और जन आंदोलन' की समग्र भावना के तहत देश भर से लोगों की भागीदारी आकर्षित की जाएगी। इसका उद्देश्य व्यापक आउटरीच कार्यकलापों के माध्यम से 'नए भारत' की अद्भुत यात्रा को दर्शाना और स्वतंत्रता संग्राम के 'गुमनाम नायकों' सहित स्वतंत्रता सेनानियों के बहुमूल्य योगदान का जश्न मनाना है।

सहयोग की भावना पर आधारित महोत्सव के प्रमुख पहलुओं में से एक सांस्कृतिक कार्यक्रमों, नुक्कड़ नाटक और टेलीविजन कार्यक्रमों जैसे पारंपरिक साधनों के साथ-साथ डिजिटल / सोशल मीडिया के नवीन माध्यम से सभी जगह पहुंच संभव है। आकाशवाणी का दैनिक कैप्सूल 'आजादी का सफर, आकाशवाणी के साथ' विभिन्न राज्यों के सूचना और जनसंपर्क निदेशालय और सूचना और प्रसारण मंत्रालय के क्षेत्रीय कार्यालयों के सहयोगात्मक प्रयासों के माध्यम से भारत भर के स्कूलों और कॉलेजों तक पहुंचेगा। आकाशवाणी नेटवर्क द्वारा विशेष कार्यक्रमों की एक श्रृंखला शुरू की जाएगी, इनमें धरोहर (स्वतंत्रता संग्राम के नेताओं के भाषण), निशान (75 प्रमुख ऐतिहासिक स्थल प्रदर्शित किए जाने हैं) और अपराजिता (महिला नेता) शामिल हैं। दूरदर्शन नेटवर्क पर चल रहे गुमनाम नायकों और स्वतंत्रता संग्राम दैनिक विशेष समाचार कैप्सूल के अलावा 'नए भारत का नया सफर' और 'जर्नी ऑफ न्यू इंडिया' के तहत क्षेत्रीय कार्यक्रमों का प्रसारण करेगा, जिसमें कूटनीति, डिजिटल भारत, विधायी सुधार आदि जैसे विषय शामिल होंगे।

इस विशेष सप्ताह की प्रमुख विशेषता प्रतिष्ठित फिल्मों का प्रदर्शन होगी। दूरदर्शन नेटवर्क 'नेताजी', 'देसी रियासतों का विलय', आदि जैसे वृत्तचित्रों की एक श्रृंखला का प्रदर्शन करेगा। इस दौरान 'राज़ी' जैसी लोकप्रिय भारतीय फिल्मों का भी प्रसारण किया जाएगा। राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम-एनएफडीसी अपने ओटीटी प्लेटफार्म www.cinemasofindia.com पर एक फिल्म फेस्टिवल का भी आयोजन कर रहा है, जिसमें एक विशेष रूप से तैयार किए गए फिल्मों के समूह में 'आइलैंड सिटी', 'क्रॉसिंग ब्रिज' आदि जैसी फिल्मों को दिखाया जाएगा। अन्य मुख्य आकर्षण में फिल्म छात्रों और उत्साही लोगों के लिए एक ऑनलाइन इंटरएक्टिव सत्र शामिल है। एनएफडीसी, और फिल्म प्रभाग द्वारा 'फिल्म निर्माण में तकनीकी प्रगति' पर एक वेबिनार भी आयोजित होगा।

फिल्म प्रभाग द्वारा उत्साह को बढ़ाने के लिए, 'इंडिया@75: प्रगति की यात्रा' और 'इंडिया@75: भारत के प्रतीक'जैसे अन्य ऑनलाइन फिल्म समारोहों की एक श्रृंखला 23 से 25 अगस्त, और 26 से 28 अगस्त, 2021 तक आयोजित की जाएगी। फिल्म समारोह निदेशालय (डीएफएफ) भारत में अन्य देशों के विभिन्न दूतावासों में फिल्मों की स्क्रीनिंग के लिए विदेश मंत्रालय के साथ सहयोग कर रहा है। एनएफएआई 23 से 29 अगस्त, 2021 तक एनएफएआई की वेबसाइट पर क्लासिक सिनेमा के बारे में वर्चुअल माध्यम से लाइव फिल्म पोस्टर प्रदर्शनी से दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर देगा।

ब्यूरो ऑफ आउटरीच एंड कम्युनिकेशन (बीओसी) देश भर में नुक्कड़ नाटकों, स्किट, मैजिक शो, कठपुतली, लोक गायन के माध्यम से आरओबी द्वारा 50 से अधिक एकीकृत संचार तथा आउटरीच कार्यक्रमों और सॉन्ग एंड ड्रामा डिवीजन द्वारा 1,000 से अधिक पीआरटी (प्राइवेट रेजिस्टर्ड टूप) के माध्यम से लोगों तक पहुंचेगा। इसके अलावा, बीओसी 'मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टीटयूशन' पर एक ई-बुक का विमोचन करेगा जो इसकी वेबसाइट पर उपलब्ध होगी। उत्साही पाठक भारत भर में प्रकाशन विभाग की पुस्तक दीर्घाओं में संबंधित विषयों पर सूचनात्मक और रोमांचक पुस्तकें प्राप्त कर सकते हैं। युवा दर्शक, स्वतंत्रता संग्राम और न्यू इंडिया की दृश्य-श्रव्य झलकियों के साथ-साथ मंत्रालय के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर इंटरैक्टिव गतिविधियों, क्विज और प्रतियोगिताओं का भी आनंद ले सकते हैं।

'आजादी का अमृत महोत्सव' के तहत इस महत्वपूर्ण सप्ताह में सूचना और प्रसारण मंत्रालय द्वारा भव्य उत्सव मनाया जाएगा जो एक युवा, नए और शानदार भारत की आकांक्षाओं और सपनों के साथ अतीत के स्वतंत्रता संग्राम के मूल्यों और गौरव के मेल को प्रदर्शित करेगा।

थर्मोकोल के साथ निर्मित बहुमंजिला भवन भविष्य की भूकंप प्रतिरोधी इमारतें हो सकती हैं

शिमला। ताप रोधन के साथ भूकंप प्रतिरोधी भवनों के निर्माण के लिए थर्मोकोल भविष्य की सामग्री हो सकती है और निर्माण सामग्रियों को विकसित करने के लिए आवश्यक ऊर्जा का बचत भी कर सकता है।

आईआईटी रुड़की के शोधकर्ताओं ने पाया है कि जिस प्रबलित कंक्रीट सैंडविच पैनल के आंतरिक हिस्से में थर्मोकोल या विस्तारित पॉलीस्टाइरिन (ईपीएस) का उपयोग मिश्रित सामग्री के रूप में किया जाता है, वह चार मंजिला भवनों तक भूकंप बलों का प्रतिरोध कर सकता है।

शोधकर्ताओं ने आईआईटी रूड़की स्थित भूकंप इंजीनियरिंग विभाग के नेशनल सिसमिक टेस्ट फैसिलिटी (एनएसटीएफ) में एक पूर्ण पैमाने की इमारत और कंक्रीट की दो परतों के बीच थर्मोकोल सैंडविच पैनल के साथ निर्मित कई दीवार घटकों का परीक्षण किया। इसका विकास भारत सरकार के विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग (डीएसटी) के उच्च शिक्षा संस्थानों में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी अवसंरचना को बेहतर बनाने के लिए धनराशि (एफआईएसटी) कार्यक्रम के तहत किया गया। चूंकि भूकंप प्रबलता से पार्श्व दिशा में एक बल का कारण बनता है, इसे देखते हुए इस परीक्षण का संचालन करने वाले अनुसंधान वैज्ञानिक आदिल अहमद ने पार्श्व बलों के तहत निर्माणों के व्यवहार का मूल्यांकन किया। यह परीक्षण एक वास्तविक 4-मंजिला भवन के विस्तृत कंप्यूटर सिमुलेशन के साथ अनुपूरक था। इस अनुसंधान का पर्यवेक्षण करने वाले प्रो. योगेंद्र सिंह ने बताया कि विश्लेषण से पता चलता है कि इस तकनीक से निर्मित चार मंजिला भवन देश के सर्वाधिक भूकंपीय क्षेत्र (V) में भी बिना किसी अतिरिक्त संरचनात्मक सहायता के भूकंपीय बलों का प्रतिरोध करने में सक्षम है।

उन्होंने इस भूकंप प्रतिरोध क्षमता को इस तथ्य के लिए जिम्मेदार माना कि ईपीएस परत कंक्रीट की दो परतों के बीच सैंडविच पैनल होती है, जिसमें बंधित तार जाल के रूप में इसका सुदृढ़ीकरण होता है। शोधकर्ताओं ने कहा कि भूकंप के दौरान एक भवन पर लगने वाला बल जड़त्व प्रभाव की वजह से उत्पन्न होता है और इसलिए यह भवन के द्रव्यमान पर निर्भर करता है। थर्मोकोल भवन के द्रव्यमान को कम करके भूकंप का प्रतिरोध करता है।

इस तकनीक में, एक कारखाने में ईपीएस आंतरिक हिस्सा (कोर) और तार जाल सुदृढ़ीकरण पैनल का उत्पादन किया जाता है। भवन के ढांचे का निर्माण पहले कारखाने में बने आंतरिक हिस्से और सुदृढ़ीकरण पैनलों पर किया जाता है और फिर ढांचे के भीतरी हिस्से पर कंक्रीट का छिड़काव किया जाता है। इस तकनीक में किसी शटरिंग की आवश्यकता नहीं होती है, इसलिए इसका निर्माण काफी तेजी से किया जा सकता है।

भूकंप का प्रतिरोध करने के अलावा, एक इमारत की कंक्रीट दीवारों में विस्तारित पॉलीस्टाइरिन कोर (आंतरिक हिस्से) के उपयोग का परिणाम ताप आरामदायक के रूप में दिख सकता है। यह कोर भवन के आंतरिक और बाहरी वातावरण के बीच ताप स्थानांतरण को लेकर जरूरी ताप रोधन प्रदान करता है। यह भवन के भीतरी हिस्सों को गर्म वातावरण में ठंडा और ठंड की स्थिति में गर्म रखने में सहायता कर सकता है। भारत अपने अलग-अलग हिस्सों में और साल के विभिन्न मौसमों के दौरान तापमान में भारी फेरबदल का सामना करता है। इसे देखते हुए संरचनात्मक सुरक्षा के साथ-साथ ताप आरामदायक एक महत्वपूर्ण विचार है।

इस तकनीक में भवनों के कार्बन फुटप्रिंट में समग्र कमी के साथ निर्माण सामग्री और ऊर्जा की बचत करने की क्षमता भी है। यह दीवारों और फर्श/छत से कंक्रीट आयतन के एक बड़े हिस्से को बदल देता है। बेहद हल्के ईपीएस के साथ कंक्रीट का यह प्रतिस्थापन न केवल द्रव्यमान को कम करता है, इस तरह एक भवन पर लगने वाले भूकंप बल को कम करता है, बल्कि सीमेंट कंक्रीट के उत्पादन के लिए आवश्यक प्राकृतिक संसाधनों और ऊर्जा पर भी बोझ कम करता है।

सम्पादक, प्रकाशक एवं मुद्रक श्री बलदेव शर्मा द्वारा ऋचा प्रिंटर्ज एण्ड पब्लिशर्ज़ रिवोली बस अड्डा लक्कड़ बाजार शिमला से प्रकाशित व मुद्रित दूरभाष: 0177-2805015, 94180-15015 फैक्स: 2805015

प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड में नियुक्तियों को लेकर चार वर्षों में नहीं हुआ सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल

शिमला/शैल। जयराम सरकार ने प्रधान सचिव के. के. पंत केन्द्रिय प्रतिनियुक्ति पर जाने के परिणामस्वरूप उनके विभाग दूसरे अधिकारियों को बांटने के साथ ही शीर्ष प्रशासनिक अधिकारियों के विभागों में थोड़ा फरेबदल भी किया है। इस फेरबदल में पर्यावरण विभाग और प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड के अध्यक्ष पद की जिम्मेदारी अतिरिक्त मुख्य सचिव प्रबोध सक्सेना को सौंपी है। सक्सेना के पास वित्त और कार्मिक विभागों की भी जिम्मेदारी है। सक्सेना एक योग्य अधिकारी हैं और इस नाते यह जिम्मेदारीयां उन्हें दिये जाने पर किसी को कोई एतराज नहीं हो सकता। फिर जब सरकार किसी अधिकारी को कोई जिम्मेदारी सौंपती है तो वह अधिकारी उससे इन्कार नहीं कर सकता यह एक स्थापित परम्परा है। लेकिन यह सरकार को देखना है कि जो आदेश वह कर रही वह कानून की नजर मे भी सही हैं या नही। यह सवाल इसलिये उठ रहा है क्योंकि प्रदूषण नियन्त्रण एक बहुत ही अहम और संवेदनशील विषय है। अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रदूषण और पर्यावरण को लेकर हर स्तर पर चिन्ता और सरोकार व्यक्त किये जा रहे हैं। यह दोनों विषय बेहद तकनीकी बन चुके हैं। प्रदूषण पर नियन्त्रण रखने के लिये बनाये गये बोर्डो में विशेषज्ञ लोगों की नियुक्तियां की जायें और इनमें तैनात किये अध्यक्ष और सदस्य सचिव को बार-बार न बदला जाये यह नियुक्तियां कम से कम पांच वर्षो के लिये की जायें।

जब इन पदों पर नियुक्त लोगों को बार-बार बदला जाता है या विशेषज्ञ लोगों की निश्युक्ति नहीं की जाती है तब इसका नुकसान कई पीढीयों तक को भुगतना पड़ता है। हिमाचल में ही पर्यावरण और प्रदूषण के मामलों में प्रदेश उच्च न्यायालय से लेकर एनजीटी तक कई बार सरकार पर नाराज़गी जता चुके है। कसौली कांड से देश भर में प्रदेश की बदनामी हो चुकी है। कसौली प्रकरण में एनजीटी ने कुछ अधिकारियों को नामत: चिन्हित करके उनके खिलाफ कड़ी कारवाई करने के निर्देश सरकार को दिये थे जिन पर आज तक अमल नहीं हुआ है। धर्मशाला के मकलोड़ गंज प्रकरण में भी कई अधिकारियों के खिलाफ सर्वोच्च न्यायालय कारवाई किये जाने के लिये निर्देश दे चुका हैं। इस प्रकरण में शीर्ष अदालत जुमार्ना तक लगा चुका है जिसे सरकारी खजाने से भरकर अधिकारियों को बचा लिया गया। अब ऊना के स्वां में रेत के लिये हुए अवैध खनन के मामले में एनजीटी प्रदूषण पर्यावरण और पुलिस तथा उद्योग विभागों को कड़ी फटकार लगा चुका है। इन विभागों के दोषी अधिकारियों को चिन्हित करके उन्हें सज़ा देने के निर्देश दे चुका है लेकिन सरकार पर इसका कोई असर नहीं हुआ है।

सर्वोच्च न्यायालय ने 2017 में दिये फैसले में स्पष्ट कहा है कि प्रदूषण नियन्त्रण बोर्डो में छ: माह के भीतर अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्यिों को लेकर स्पष्ट नियम बनाये जायें। शीर्ष अदालत ने सितम्बर 2017 में याचिका संख्या 1359 Of 2017 में यह निर्देश दिये है। इन निर्देशों पर यह कहा है सर्वोच्च न्यायालय में जो आज तक नहीं हुआ है। यह कहा है सर्वोच्च न्यायालय ने Unfortunately, not withstanding all these suggestions, recommendations and guidelines the SPCBs continue to be manned by persons who do not necessarily have the necessary expertise or professional experience to address the issues for which the SPCBs were established by law. The Tata Institute of Social Sciences in a Report published quite recently in 2013 titled "Environmental Regulatory Authorities in India: An Assessment of State Pollution Control Boards" had this to say about some of the appointments to the SPCBs:

"An analysis of data collected from State Pollution Control Boards, however, gives a contrasting picture. It has been observed that time and again across state governments have not been able to choose a qualified, impartial, and politically neutral person of high standing to this crucial regulatory post. The recent appointments of chairpersons of various State Pollution Control Boards like Karnataka (A a senior BJP leader), Himachal Pradesh (B a Congress party leader and former MLA), Uttar Pradesh (C appointed on the recommendation of SP leader X), Arunachal Pradesh (D a sitting NCP party MLA), Manipur Pollution Control Board (E a sitting MLA), Maharashtra Pollution Control Board (F a former bureaucrat) are in blatant violation of the apex court guidelines. The apex court has recommended that the appointees should be qualified in the field of environment or should have special knowledge of the subject. It is unfortunate that in a democratic set up, key enterprises and boards are headed by bureaucrats for over a decade. In this connection, it is very important for State Governments to understand that filling a key regulatory post with the primary intention to reward an ex-official through his or her appointment upon retirement, to a position for which he or she may not possess the essential overall qualifications, does not do justice to the people of their own states and also staffs working in the State Pollution Control Boards. The primary lacuna with this kind of appointment was that it did not evoke any trust in the people that decisions taken by an ex-official of the State or a former political leader, appointed to this regulatory post through what appeared to be a totally non-transparent unilateral decision. Many senior environmental scientists and other officers of various State Pollution Control Boards have expressed their concern for appointing bureaucrats and political leader as Chairpersons who they feel not able to create a favourable atmosphere and an effective work culture in the functioning of the board. It has also been argued by various environmental groups that if the government is unable to find a competent person, then it should advertise the post, as has been done recently by states like Odisha. However, State Governments have been defending their decision to appoint bureaucrats to the post of Chairperson as they believe that the vast experience of IAS officers in handling responsibilities would be easy. Another major challenge has been appointing people without having any knowledge in this field. For example, the appointment of G with maximum qualification of Class X as Chairperson of State Pollution Control Board of Sikkim was clear violation of Water Pollution and Prevention Act, 1974."[14]

32. The concern really is not one of a lack of professional expertise – there is plenty of it available in the country–but the lack of dedication and willingness to take advantage of the resources available and instead benefit someone close to the powers that be. With this couldn't-care-less attitude, the environment and public trust are the immediate casualties. It is unlikely that with such an attitude, any substantive effort can be made to tackle the issues of environment degradation and issues of pollution. Since the NGT was faced with this situation, we can appreciate its frustration at the scant regard for the law by some State Governments, but it is still necessary in such situations to exercise restraint as cautioned in **State of U.P. v. Jeet S. Bisht.**[15]

33. Keeping the above in mind, we are of the view that it would be appropriate, while setting aside the judgment and order of the NGT, to direct the Executive in all the States to frame appropriate guidelines or recruitment rules within six months, considering the institutional requirements of the SPCBs and the law laid down by statute, by this Court and as per the reports of various committees and authorities and ensure that suitable professionals and experts are appointed to the SPCBs. Any damage to the environment could be permanent and irreversible or at least long-lasting. Unless corrective measures are taken at the earliest, the State Governments should not be surprised if petitions are filed against the State for the issuance of a writ of quo warranto in respect of the appointment of the Chairperson and members of the SPCBs. We make it clear that it is left open to public spirited individuals to move the appropriate High Court for the issuance of a writ of quo warranto if any person who does not meet the statutory or constitutional requirements is appointed as a Chairperson or a member of any SPCB or is presently continuing as such.

बाल यौन शोषण मामले में 636 दिन की देरी से अपील दायर करने पर सुप्रीम कोर्ट ने लगाया 25000 का जुर्माना

जुर्माने की रकम संबद्ध अधिकारियों से वसूलने के निर्देश

शिमला/शैल। जयराम सरकार का प्रशासन कितना संवेदनशील और जिम्मेदार है इसका अन्दाजा इसी से लगाया जा सकता है कि बाल यौन शोषण के एक मामले में 636 दिन बाद सर्वोच्च न्यायालय में अपील दायर की गयी है। सर्वोच्च न्यायालय ने सरकार की इस तत्परता के लिये उस पर 25000 का जुर्माना लगाते हुए निर्देश दिये हैं कि जुर्माने की यह राशि इस देरी के लिये जिम्मेदार अधिकारियों से वसूली जाये। सर्वोच्च न्यायालय में जब राज्य सरकार ने इस देरी के लिये कोरोना के प्रकोप को कारण बताया तब अदालत ने इन शब्दों में अपनी नाराज़गी व्यक्त की

"To say the least, we are shocked at the conduct of the petitioner-State and the manner of conduct the litigation in such a sensitive matter. There is not even a semblance of explanation for delay"

इस मामले में 5-12-2018 को अदालत ने अपराधी के पक्ष में फैसला देते हुए उसे छोड़ दिया था। इसके बाद प्रशासन ने इस मामले में सर्वोच्च न्यायालय में अपील दायर करने का फैसला लिया। यह फैसला लेने में योग्य संबद्ध प्रशासन को 636 दिन लग गये। इसमें प्रशासन की गंभीरता का इसी से अन्दाजा लगाया जा सकता है कि शीर्ष अदालत में इस देरी के लिये प्रदेश मे कोरोना होने का तर्क दिया गया। तर्क देते हुए यह भी भूल गये कि यह फैसला दिसम्बर 2018 में आ गया था और कारोना के कारण लॉकडाऊन 24 मार्च 2020 को लगा था।

ऐसा ही आचरण वन विभाग के मामले में भी सामने आया है। शिमला के कोटी रेंज में 400 से अधिक पेडों के अवैध कटान के मामले में 2018 में उच्च न्यायालय ने संबद्ध लोगों के खिलाफ मामले दर्ज करके कारवाई करने के निर्देश दिये थे जिन पर अब तक कारवाई नहीं हुई और अब उच्च न्यायालय ने इसका कड़ा संज्ञान लेते हुए जांच अधिकारी को ही निलम्बित करने के आदेश किये हैं। ऊना में भी एक फार्मेसी की दुकान के आवंटन के मामले में हुए घपले में उच्च न्यायालय ने सी. एम.ओ. और एम एस की वित्तिय शक्तियां अगले आदेशों तक छीन ली है। इन मामलों से यह सवाल उठने लगा है कि या तो प्रशासन बेलगाम हो गया है या उस पर अत्यधिक राजनीतिक दबाव है।